सत्यमेव जयते

बिहार विधान सभा

की

राजकीय आश्वासन समिति

का

343वाँ प्रतिवेदन

(गृह विभाग)

(दिनांक 25/07/2026 ई० को सदन में उपस्थापित)

बिहार विधान सभा
की
राजकीय आश्वासन समिति प्रशाखा द्वारा प्रकाशित ।

विषय–सूची

	पृष्ठ
1. प्राक्कथन	क
2. राजकीय आश्वासन समिति के माननीय सदस्यों एवं समिति के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची।	ख
3. आश्वासनों की सूची	ग
4. प्रतिवेदन	1–31
5. परिशिष्ट	32–105

प्राक्कथन

मैं सभापति, राजकीय आश्वासन समिति की हैसियत से बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 211 के तहत गृह विभाग से संबंधित विभिन्न वर्षों के कुल 31 आश्वासनों के कार्यान्वयन से संबंधित राजकीय आश्वासन समिति का 343वाँ प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित करता हूँ।

इस प्रतिवेदन में सन्निहित आश्वासनों को समिति की दिनांक 04 नवम्बर, 2022 की बैठक में समीक्षोपरान्त कार्यान्वित माना गया तथा इस प्रतिवेदन को समिति की दिनांक 14 अगस्त, 2023 की बैठक मे सर्वसम्मति से पारित किया गया ।

संसदीय लोकतंत्र में विधायकगण, विधान मंडल में जनता की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु जन–प्रतिनिधि द्वारा जनहित के विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसपर सरकार का आश्वासन होता है ।

बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम, 284 के तहत गठित राजकीय आश्वासन समिति, सरकार द्वारा सदन में दिये गये ऐसे आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं और वचनों आदि के कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ कार्य करती है तथा कार्यान्वित आश्वासनों से संबंधित प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित करती है।

इन आश्वासनों के कार्यान्वयन में विभागीय पदाधिकारियों तथा सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की अहम भूमिका रही है।

इस प्रतिवेदन को तैयार करने में समिति के सभी माननीय सदस्यों, सभा सचिवालय के पदाधिकारियों/कर्मचारियों एवं संबंधित विभागीय पदाधिकारियों के प्रति मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ ।

दामोदर रावत,
सभापति,
राजकीय आश्वासन समिति,
बिहार विधान सभा, पटना।

बिहार विधान सभा सचिवालय

बिहार विधान सभा के राजकीय आश्वासन समिति की वर्ष 2023–24 के माननीय सदस्यों की सूची—

सभापति

1. श्री दामोदर रावत	स0वि0स0

सदस्यगण

1. श्री केदार नाथ सिंह	स0वि0स0
2. श्री संजय कुमार गुप्ता	स0वि0स0
3. श्री हरीभूषण ठाकुर "बचोल"	स0वि0स0
4. श्री जनक सिंह	स0वि0स0
5. श्री कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह	स0वि0स0
6. श्री सुदर्शन कुमार	स0वि0स0
7. श्री उमाकांत सिंह	स0वि0स0
8. श्री रामविशुन सिंह	स0वि0स0

सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची—

1. श्री पवन कुमार पाण्डेय	प्रभारी सचिव
2. श्री असीम कुमार	प्रभारी निदेशक
3. श्रीमती पूनम सिन्हा	प्रभारी उप–सचिव
4. सुश्री शिल्पा यादव	प्रशाखा पदाधिकारी
5. श्री राजीव कुमार सिंह	सहायक
6. श्री राजीव रंजन–III	सहायक
7. श्री शक्ति कुमार प्रसाद	सहायक
8. श्री मो0 अली	सहायक
9. श्री रवि शंकर	डाटा इंट्री ऑपरेटर

दिनांक 04 नवम्बर, 2022 को राजकीय आश्वासन समिति की हुई बैठक में गृह विभाग से संबंधित कार्यान्वित/ड्रॉप आश्वासनों की सूची––

क्रम सं0	आश्वासन सं0	कार्यान्वित/ड्रॉप
1	196/07	कार्यान्वित
2	598/09	कार्यान्वित
3	193/11	कार्यान्वित
4	743/12	कार्यान्वित
5	173/13	कार्यान्वित
6	198/13	कार्यान्वित
7	290/13	कार्यान्वित
8	06/14	कार्यान्वित
9	12/14	कार्यान्वित
10	136/14	कार्यान्वित
11	613/14	कार्यान्वित
12	114/15	कार्यान्वित
13	119/15	कार्यान्वित
14	440/15	कार्यान्वित
15	40/16	कार्यान्वित
16	626/16	कार्यान्वित
17	1047/16	कार्यान्वित
18	1059/16	कार्यान्वित
19	558/17	कार्यान्वित
20	574/17	कार्यान्वित
21	575/17	कार्यान्वित
22	847/17	कार्यान्वित
23	868/17	कार्यान्वित
24	701/19	कार्यान्वित
25	575/21	कार्यान्वित
26	771/21	कार्यान्वित
27	778/21	कार्यान्वित
28	782/21	ड्रॉप
29	21/22	कार्यान्वित
30	376/22	कार्यान्वित
31	385/22	कार्यान्वित

प्रतिवेदन

गृह विभाग

आश्वासन संख्या 196/07

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 1394 (ए–99), दिनांक 29 मार्च, 2007 की (कार्यवाही से) ।

प्रश्नकर्ता—श्री विश्वमोहन भारती, स0वि0स0 ।

विषय—अररिया जिलान्तर्गत महथावा बाजार में थाना की व्यवस्था ।

सरकारी आश्वासन

श्री विश्वमोहन भारती—हम सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि वहाँ पर निश्चित रूप से पुलिस थाना या कम से कम पुलिस चौकी का भी निर्माण कराया जाय।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव (मंत्री)—महोदय, सरकार निर्देश देगी आरक्षी अधीक्षक को अगर वहाँ पर आवश्यकता महसूस की जायेगी तो ओ0पी0 के लिए प्रस्ताव बल्कि उनका निर्देश दिया जायेगा कि अगर आवश्यकता हो तो ओ0पी0 का तो वहीं से हो जाता है। ओ0पी0 या थाना जिला की आवश्यकता हो, अगर थाना की आवश्यकता हो तो सरकार को प्रस्ताव भेजें, ओ0पी0 की जरूरत है तो इसका कारगर ढंग से करने के लिए निर्देश दिया जायेगा ।

(ज्ञाप सं0 258– वि0स0, पटना, दिनांक 22 मई, 2007 ई0)।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 258, दिनांक 22 मई, 2007 के द्वारा गृह विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था। गृह विभाग ने अपने पत्रांक 10482, दिनांक 23 दिसम्बर, 2021 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट–I पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया। जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 04 नवम्बर, 2022 की हुई बैठक में समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 04 नवम्बर, 2022 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुए निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 598/09

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न सख्या 1222 (ए–49), दिनांक 20 जुलाई, 2009 की (कार्यवाही से) ।

प्रश्नकर्ता सदस्य—श्री कृष्ण नन्दन प्रसाद वर्मा, स0 वि0 स0।

विषय—जहानाबाद जिलान्तर्गत मखदुमपुर थाना में चौकीदारों को नियमित कर वेतन भुगतान के संबंध मे ।

सरकारी आश्वासन

श्री कृष्ण नन्दन प्रसाद वर्मा—दस–बारह वर्षों से ड्यूटी कर रहे है जिसका लिखित सबूत है, कमान काटकर ड्यूटी ली गयी है और उसको अबतक नियमित नहीं किया गया तो इसपर सरकार क्या विचार रखती है, वह कबतक नियमित करना चाहती है ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव (मंत्री)—माननीय सदस्य, आप स्वयं कह रहे हैं कि नियमित नहीं किया गया है और उसका जबाव आ गया है अस्वीकारात्मक अगर कोई है एविडेंस तो मा0 सदस्य दे दें, उसको देखवा लेंगे।

अध्यक्ष—मा0 सदस्य, आपके पास जो कुछ भी साक्ष्य है कि वे कार्यरत हैं, काम लिया जा रहा है उसकी जानकारी मा0 मंत्री जी को दे दें, उसपर एक सम्यक निर्णय मा0 मंत्री जी ले लेंगे।

(ज्ञाप सं0 578– वि0स0, पटना, दिनांक 31 जुलाई, 2009 ई0)।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 578, दिनांक 31 जुलाई, 2009 के द्वारा गृह विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था। गृह विभाग ने अपने पत्रांक 7505, दिनांक 27 सितम्बर, 2021 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट–II पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया। जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 04 नवम्बर, 2022 की हुई बैठक में समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

———

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 04 नवम्बर, 2022 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुए निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 193/11
प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 426 (ए–17), दिनांक 7 मार्च, 2011 की (कार्यवाही से)।

प्रश्नकर्ता—श्री प्रदीप कुमार, स० वि० स० ।

विषय—नवादा जिलान्तर्गत धमौल थाना का नया भवन का घेराबंदी एवं अतिरिक्त कमरे का निर्माण कराने के संबंध में ।

सरकारी आश्वासन

श्री विजय कुमार चौधरी, (मंत्री)—वस्तुस्थिति यह है नवादा जिलान्तर्गत धमौल थाना भवन बनकर तैयार है। 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2011–12 में स्वीकृत किये जाने वाले योजना के अन्तर्गत धमौल थाना में 6 एल०एस० आवास के निर्माण की योजना 63 एवं 20 सिपाहियों के लिए बैरक निर्माण की योजना 33 लाख रु० की स्वीकृति दी जा चुकी है जिसमें जलापूर्ति, विद्युतीकरण एवं घेराबंदी कार्य भी शामिल है। निर्माण कार्य अगले वित्तीय वर्ष 2011–12 में शुरू कर दिया जायेगा ।

श्री प्रदीप कुमार—माननीय अध्यक्ष महोदय, हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि कबतक थाना को स्थानांतरित करके नया भवन में ले जाया जायेगा ?

श्री विजय कुमार चौधरी, (मंत्री)—महोदय, मैंने अपने उत्तर में स्पष्ट बतलाया कि भवन तैयार है उसमें बाउन्ड्री वॉल बनाने का काम, पानी सप्लाई का काम और विद्युतीकरण का काम यह वर्ष 2011–12 में कराया जा रहा है और जैसे ही यह कार्य पूरा होगा थाना उसमें चला जायेगा ।

(ज्ञाप सं० 193– वि०स०, पटना, दिनांक 18 मार्च, 2011 ई०)।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 193, दिनांक 18 मार्च, 2011 के द्वारा गृह विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था। गृह विभाग ने अपने पत्रांक 75, दिनांक 5 जनवरी, 2022 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट–III पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया। जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 04 नवम्बर, 2022 की हुई बैठक में समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 4 नवम्बर, 2022 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुए निष्पादित किया गया।

आश्वासन संख्या 743/12
प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 2078 (ए–30), दिनांक 19 मार्च, 2012 की (कार्यवाही से) ।

प्रश्नकर्ता—श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, स० वि० स०।

विषय—पटना के फुलवारीशरीफ़ थाना को ऑनलाइन थाना बनाने के संबंध में।

सरकारी आश्वासन

श्री विजय कुमार चौधरी, (मंत्री)—खंड (3) वर्तमान में जिले के सभी थानों का नेटवर्किंग से जाँच प्रस्तावित है।

(ज्ञाप सं० 743 वि०स०, पटना, दिनांक 19 जून, 2012 ई०)।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 743, दिनांक 19 जून, 2012 के द्वारा गृह विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था। गृह विभाग ने अपने पत्रांक 2762, दिनांक 15 मार्च, 2022 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट–IV पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया। जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनाक 04 नवम्बर, 2022 की हुई बैठक मे समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 04 नवम्बर, 2022 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुए निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 173/13
प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 483 (ए–2), दिनांक 25 फरवरी, 2013 को (सदन पटल से) ।

प्रश्नकर्ता—श्री अवधेश कुमार राय, स0 वि0 स0।

विषय—बेगूसराय जिला के भगवानपुर थाना भवन का निर्माण कराने के संबंध में ।

सरकारी आश्वासन

प्रभारी मंत्री—बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ करने हेतु निविदा की कार्रवाई की जा रही है।

(ज्ञाप सं0 173 वि0स0, पटना, दिनांक 08 मार्च, 2013 ई0)।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 173, दिनांक 08 मार्च, 2013 के द्वारा गृह विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था। गृह विभाग ने अपने पत्रांक 558, दिनांक 18 जनवरी, 2019 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट–V पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया। जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 04 नवम्बर, 2022 को हुई बैठक में समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 04 नवम्बर, 2022 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुए निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 198/13

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 557 (ए–58), दिनांक 25 फरवरी, 2013 को (सदन पटल से)।

प्रश्नकर्ता—श्री अम्बिका सिंह, स0वि0स0।

विषय—कैमुर जिला के दुर्गावती प्रखंड के बिछियां, सरैया, अशोना, महमुदगंज तथा नुआँव प्रखंड के भुगनपुर गांवों के कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराने के संबंध में ।

सरकारी आश्वासन

प्रभारी मंत्री—प्राक्कलन की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति के पश्चात् प्राथमिकता के आधार पर क्रमबद्ध ढंग से घेराबंदी का कार्य किया जायेगा ।

(ज्ञाप सं0 198– वि0स0, पटना, दिनांक 08 मार्च, 2013 ई0)।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 198, दिनांक 08 मार्च, 2013 के द्वारा गृह विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था। गृह विभाग ने अपने पत्रांक 6400, दिनांक 23 जून, 2022 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट–VI पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया । जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 04 नवम्बर, 2022 की हुई बैठक में समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 04 नवम्बर, 2022 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुए निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 290 / 13

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 1170 (ए–110), दिनांक 4 मार्च, 2013 की (कार्यवाही से)।

प्रश्नकर्ता—श्री प्रदीप कुमार, स0वि0स0 ।

विषय—नवादा जिलान्तर्गत काशीचक प्रखंड में ग्राम–उपरावां तथा भट्टा का मैरो तालाब से पश्चिम बड़की कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराने के संबंध में।

सरकारी आश्वासन

श्री प्रदीप कुमार—माननीय अध्यक्ष महोदय, कब्रिस्तान की घेराबंदी की राशि राज्य सरकार से जिला को 2 साल से प्राप्त नहीं हुई है। 2 साल से राशि रूकी हुई है, नवादा जिला के कब्रिस्तान की घेराबंदी की राशि नहीं मिली है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, (मंत्री)—इसको देखवा लेंगे ।

(ज्ञाप सं0 290– वि0स0, पटना, दिनांक 13 मार्च, 2013 ई0)।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 290, दिनांक 13 मार्च, 2013 के द्वारा गृह विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था। गृह विभाग ने अपने पत्रांक 6390, दिनांक 23 जून, 2022 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट–VII पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया । जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 04 नवम्बर, 2022 की हुई बैठक मे समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 04 नवम्बर, 2022 की बैठक मे समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुए निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 06 / 14
प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 13 (ए–3), दिनांक 17 फरवरी, 2014 की (कार्यवाही से)।

प्रश्नकर्ता—श्री अम्बिका सिंह, स0वि0स0।

विषय—कैमूर जिलान्तर्गत दुर्गावती प्रखंड के विछिया, डुमरी, सरैया, महमुदगंज, चेहरिया (तकिया) मंसूरपुर, नुआँव प्रखंड के भुगनपुर कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराने के संबंध में।

सरकारी आश्वासन

श्री विजय कुमार चौधरी, (मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि कैमूर जिलान्तर्गत प्रखंड के कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिये स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, कैमूर प्राक्कलन तैयार कर दे दिया गया है एवं अगले वित्तीय वर्ष में इन कब्रिस्तानों की घेराबंदी का काम करा दिया जायेगा ।

(ज्ञाप सं0 6– वि0स0, पटना, दिनांक 25 अप्रैल, 2014 ई0)।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 6, दिनांक 25 अप्रील, 2014 के द्वारा गृह विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था। गृह विभाग ने अपने पत्रांक 6389, दिनांक 23 जून, 2022 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट–VIII पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया। जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 04 नवम्बर, 2022 की हुई बैठक में समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 04 नवम्बर, 2022 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुए निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 12/14

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 19 (ए–14), दिनांक 17 फरवरी, 2014 को (सदन पटल से)।

प्रश्नकर्ता—श्री प्रदीप कुमार, स0वि0स0।

विषय—नवादा जिलान्तर्गत शाहपुर ओ0पी0 का भवन पुनर्निर्माण कराने के संबंध में ।

सरकारी आश्वासन

प्रभारी मंत्री—भूमि अधिग्रहण के पश्चात् शाहपुर ओ0 पी0 के भवन निर्माण हेतु आवश्यक कार्रवाई की जायेगी ।

(ज्ञाप सं0 12– वि0स0, पटना, दिनांक 25 अप्रील, 2014 ई0)।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 12, दिनांक 25 अप्रील, 2014 के द्वारा गृह विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था। गृह विभाग ने अपने पत्रांक 6526, दिनांक 04 जुलाई, 2022 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट–IX पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया। जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 04 नवम्बर, 2022 की हुई बैठक में समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 04 नवम्बर, 2022 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुए निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 136 / 14
प्रसंग एवं विषय

सर्वश्री अरूण शंकर प्रसाद, राम नरेश प्रसाद यादव एवं अन्य तीन सभासदों की ध्यानाकर्षण सूचना दिनांक 4 जुलाई, 2014 को सरकारी वक्तव्य में निहित आश्वासन ।

विषय—पटना और भागलपुर जिला के सभी थानों और पुलिस कार्यालयों को एक–दूसरे से जोड़े जाने के संबंध में ।

सरकारी आश्वासन

श्री विजय कुमार चौधरी, (मंत्री)—महोदय, हम बता दें कि यह योजना कुल लगभग 75 करोड़ रु0 की थी, जिसमें से केन्द्र सरकार के द्वारा 59 करोड़ रु0 देना था और 14 करोड़ रु0 राज्य सरकार को देना था और केन्द्र सरकार अभीतक 25 करोड़ 84 लाख 57 हजार रु0 उपलब्ध कराये गये हैं परन्तु जो हमारी एजेंसी है, उसको हमने मात्र 6 करोड़ 38 लाख 72 हजार रु0 एडभांस के रूप में दिये हैं और जैसाकि हमने कहा कि उनका जब हम एग्रीमेंट रिसाईन करेंगे तो जो काम अभीतक उनके द्वारा किया गया है, उसमें जो उनकी राशि बनेगी, अगर उससे ज्यादा होगी तो उसके रिकभरी के लिये जो भी कार्रवाई होगी दंडात्मक कार्रवाई होगी वह भी की जायेगी ।

(ज्ञाप सं0 136– वि0स0, पटना, दिनांक 22 जुलाई, 2014 ई0)।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 136, दिनांक 22 जुलाई, 2014 के द्वारा गृह विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था। गृह विभाग ने अपने पत्रांक 2700, दिनांक 15 मार्च, 2022 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट–X पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया। जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 04 नवम्बर, 2022 की हुई बैठक में समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 04 नवम्बर, 2022 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुए निष्पादित किया गया ।

गृह (आरक्षी) विभाग
आश्वासन संख्या 613/14
प्रसंग एवं विषय

श्री कुमार शैलेन्द्र, स०वि०स० के गैर–सरकारी संकल्प सूचना पर दिनांक 26 दिसम्बर, 2014 को सरकारी वक्तव्य में निहित आश्वासन ।

विषय—भागलपुर जिलान्तर्गत उत्तरी बिहार को जोड़ने वाली विक्रमशीला सेतु को महाजाम से मुक्त करने के संबंध में ।

सरकारी आश्वासन

श्री विजय कुमार चौधरी, (मंत्री)—महोदय, सरकार माननीय सदस्य ने जो सूचना दी है, उसको ग्रहण करती है और निश्चिंत रूप से सरकार स्थानीय पदाधिकारियों को निदेश देगी कि पदाधिकारियों या गृह रक्षकों या आरक्षियों की प्रतिनियुक्ति कर विक्रमशीला पुल पर यातायात सुगम रहे, इसकी व्यवस्था की जायेगी ।

(ज्ञाप सं० 613– वि०स०, पटना, दिनांक 23 जनवरी, 2015 ई०)।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 613, दिनांक 23 जनवरी, 2015 के द्वारा गृह विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था। गृह विभाग ने अपने पत्रांक 10095, दिनांक 13 दिसम्बर, 2021 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट–XI पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया । जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 04 नवम्बर, 2022 की हुई बैठक में समीक्षा की गई । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 04 नवम्बर, 2022 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुए निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 114/15
प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 667 (ए–64), दिनांक 30 मार्च, 2015 की (कार्यवाही से)।

प्रश्नकर्ता—श्री मनीष कुमार, स0वि0स0।

विषय—बाँका जिलान्तर्गत धनकुंड ओ0 पी0 को अपना भवन तथा इसमें पदस्थापित पुलिसकर्मियो के लिये आवास मुहैया कराने के संबंध में ।

सरकारी आश्वासन

श्री विजय कुमार चौधरी, (मंत्री)—वस्तुस्थिति यह है कि धोरैया प्रखंडान्तर्गत गैर–मजरूआ आम डगर वर्तमान में परती भूमि का चयन कर लिया गया है। भूमि हस्तान्तरण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन में है। भूमि हस्तान्तरण के उपरांत भवन निर्माण की प्रक्रिया की जायेगी ।

(ज्ञाप सं0 114– वि0स0, पटना, दिनांक 28 अप्रील, 2015 ई0)।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 114, दिनांक 28 अप्रील, 2015 के द्वारा गृह विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था। गृह विभाग ने अपने पत्रांक 2699, दिनांक 15 मार्च, 2022 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट–XII पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया । जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 04 नवम्बर, 2022 की हुई बैठक में समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 04 नवम्बर, 2022 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुए निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 119/15
प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 685 (ए–52), दिनांक 30 मार्च, 2015 को (सदन पटल से)।

प्रश्नकर्त्ता—श्री अच्युतानन्द, स०वि०स० ।

विषय—वैशाली जिलान्तर्गत महनार थानान्तर्गत महनार के लावापुर और स्टेशन रोड में एक–एक नाका की स्थापना करने के संबंध में ।

सरकारी आश्वासन

प्रभारी मंत्री—वस्तुस्थिति यह है कि नाका थाना परिसर से ही संचालित है तथा अपराध नियंत्रक का कार्य इससे लिया जाता है। भूमि उपलब्ध होने पर निर्माण की कार्रवाई की जायेगी।

(ज्ञाप सं0 119– वि0स0, पटना, दिनांक 28 अप्रील, 2015 ई0)।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 119, दिनांक 28 अप्रील, 2015 के द्वारा गृह विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था। गृह विभाग ने अपने पत्रांक 3055, दिनांक 23 मार्च, 2022 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट–XIII पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया । जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 04 नवम्बर, 2022 की हुई बैठक में समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 04 नवम्बर, 2022 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुए निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 440/15

प्रसंग एवं विषय

अल्पसूचित प्रश्न संख्या 4 (अ0 सू0–5), दिनांक 7 दिसम्बर, 2015 की (कार्यवाही से)।

प्रश्नकर्ता—श्री विजय कुमार सिन्हा, स0वि0स0।

विषय—बिहार में भी देशभर के थानों को एक दूसरे से जोड़ने की बहुप्रतीक्षित योजना क्राईम एवं क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क सिस्टम योजना को पूरा करने के संबंध में ।

सरकारी आश्वासन

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, (मंत्री)—महोदय, दिनांक 18 दिसम्बर, 2014 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में स्टेट ऐपेक्स कमिटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इस परियोजना का क्रियान्वयन बेल्ट्रॉन के स्थान पर बिहार पुलिस द्वारा किया जायेगा। बिहार पुलिस द्वारा परियोजना को क्रियान्वित करने के लिये नये सिस्टम इंटीग्रेटेड के चयन हेतु दिनाक 10 अप्रील, 2015 को निविदा प्रकाशित की गयी परन्तु कोई भी निविदादाता उपस्थित नहीं हुआ जिसके फलस्वरूप पुनः निविदा की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। पुनः निविदा द्वारा कार्य कराकर परियोजना को पूर्ण किया जायेगा ।

(ज्ञाप सं0 440– वि0स0, पटना, दिनांक 25 फरवरी, 2016 ई0)।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 440, दिनांक 25 फरवरी, 2016 के द्वारा गृह विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था। गृह विभाग ने अपने पत्रांक 10402, दिनांक 22 दिसम्बर, 2021 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट–XIV पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया। जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 04 नवम्बर, 2022 की हुई बैठक में समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 04 नवम्बर, 2022 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुए निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 40/16

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 112 (ए–23), दिनांक 27 फरवरी, 2016 की (कार्यवाही से)।

प्रश्नकर्ता—श्री कुमार सर्वजीत, स0वि0स0।

विषय—गया जिलान्तर्गत टनकुप्पा प्रखंड के टनकुप्पा थाना का अपना भवन बनाने के संबंध में ।

सरकारी आश्वासन

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, (मंत्री)—(1) वस्तुस्थिति यह है कि गया जिलान्तर्गत टनकुप्पा थाना मनरेगा भवन में विगत दो वर्षो से कार्यरत है जिसमें कुल चार कमरे हैं, यह भवन पक्का है। यह वर्ष 2014 में थाने के रूप में अधिसूचित हुआ ।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि गया जिलान्तर्गत टनकुप्पा थाना भवन निर्माण हेतु 1.28 एकड़ भूमि उपलब्ध है। थाना भवन निर्माण हेतु बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम को तकनीकी अनुमोदन/प्राक्कलन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है। तकनीकी अनुमोदन/प्राक्कलन प्राप्त होने के पश्चात् अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

(ज्ञाप सं0 40– वि0स0, पटना, दिनांक 14 जून, 2016 ई0)।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 40, दिनांक 14 जून, 2016 के द्वारा गृह विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था। गृह विभाग ने अपने पत्रांक 6151, दिनांक 23 जून, 2022 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट–XV पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया। जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 04 नवम्बर, 2022 की हुई बैठक में समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 04 नवम्बर, 2022 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुए निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 626 / 16

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 1978– गृह, दिनाक 28 मार्च, 2016 की (कार्यवाही से)।

प्रश्नकर्ता—श्री अशोक कुमार सिंह, स०वि०स०।

विषय—कैमूर जिला के नुआँव प्रखंड के बरूना एवं डुमरी में कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने के संबंध में।

सरकारी आश्वासन

श्री अशोक कुमार सिंह—महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूँ कि जबतक कोई कब्रिस्तान विवादित नहीं होगा तबतक उसकी घेराबंदी नहीं होगी और क्या कब्रिस्तान घेराबंदी में माननीय सदस्यों का कोई अधिकार होगा या नहीं ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, (मंत्री)—महोदय, मा० सदस्य भी इस राज्य के चुने हुये प्रतिनिधि हैं प्रश्न यह है कि संवेदनशीलता के आधार पर जो डिसपुटेड ज्यादा है प्राथमिकता सूची उसी के आधार पर निर्धारित होती है। बारी–बारी से सब होगा। माननीय सदस्य ने जो पूछा है ऐसी बात नहीं है आपने जो प्रश्न किया है, इसको दिखवायेंगे। जिला पदाधिकारी से अगर संवेदनशील होगा जैसा आप कह रहे हैं तो सूची उपलब्ध करा लिया जायेगा।

(ज्ञाप सं० 2174–2177– वि०स०, पटना, दिनांक 15 दिसम्बर, 2016 ई०)।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 2174–2177, दिनांक 15 दिसम्बर, 2016 के द्वारा गृह विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था। गृह विभाग ने अपने पत्रांक 6388, दिनांक 23 जून, 2022 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट–XVI पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया । जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 04 नवम्बर, 2022 की हुई बैठक में समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 04 नवम्बर, 2022 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुए निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 1047 / 16

प्रसंग एवं विषय

अनागत तारांकित प्रश्न संख्या (गृह–207), दिनांक 1 दिसम्बर, 2016 को सदन पटल पर रखे गये द्वितीय सत्र के (मुद्रित पुस्तिका से)।

प्रश्नकर्ता—श्री नन्द कुमार राय, स0 वि0 स0।

विषय—मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत मोतीपुर प्रखंड के पंचायत परसौनीनाथ के विशुनपुर कब्रिस्तान एवं फुलवरिया कब्रिस्तान की घेराबंधी करने के संबंध में।

सरकारी आश्वासन

प्रभारी मंत्री—वस्तुस्थिति यह है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत मोतीपुर प्रखंड के पंचायत परसौनीनाथ के फुलवरिया कब्रिस्तान घेराबंदी हेतु प्राथमिकता सूची के क्रमांक 3 पर शामिल है। इसकी घेराबंदी हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में प्रशासनिक स्वीकृति देते हुये कार्यादेश निर्गत किया गया है। इस पंचायत के विशुनपुर कब्रिस्तान घेराबंदी हेतु प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है।

कब्रिस्तानों की घेराबंदी के लिये जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है और उसी क्रमबद्ध ढंग से घेराबंदी कराये जाने की नीति है।

(ज्ञाप0 सं0 3858–3861– वि0स0, पटना, दिनांक 24 जनवरी, 2017 ई0)।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 3858–3861, दिनांक 24 जनवरी, 2017 के द्वारा गृह विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था। गृह विभाग ने अपने पत्रांक 7283, दिनांक 12 जुलाई, 2022 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट–XVII पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया। जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 04 नवम्बर, 2022 की हुई बैठक में समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 04 नवम्बर, 2022 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुए निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 1059/16
प्रसंग एवं विषय

अनागत तारांकित प्रश्न संख्या (गृह–134), दिनांक 1 दिसम्बर, 2016 को सदन पटल पर रखे गये द्वितीय सत्र के (मुद्रित पुस्तिका से)।

प्रश्नकर्ता—श्री सुदामा प्रसाद, स0वि0स0 ।

विषय—भोजपुर जिला के मंडल कारा में आजीवन कारावास की सजा परिहार सहित 20 वर्ष की सजा पूरा करने वाले कैदियों को रिहाई करने के संबंध में ।

सरकारी आश्वासन

प्रभारी मंत्री—वस्तुस्थिति यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायायल द्वारा रिट पिटीशन (क्रिमनल) सं0 48/2014 यूनियन ऑफ इंडिया बनाम वी0 श्रीहरण उर्फ मुरूगन में दिनांक 9 जुलाई, 2014 को पारित न्यायादेश के आलोक में 'राज्य दण्डादेश परिहार पर्षद' की बैठक का आयोजन स्थगित रखा गया है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 23 जुलाई, 2015 को पारित न्यायादेश दिनांक 2 दिसम्बर, 2015 को पारित आदेश के प्रिप्रेक्ष्य में आजीवन सजा प्राप्त बंदियों के असमय कारा मुक्ति से संबधित बिहार कारा हस्तक के प्रावधानों के संशोधन का कार्य प्रक्रियाधीन है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 2 दिसम्बर, 2015 को पारित उपर्युक्त आदेश के आलोक में बिहार कारा हस्तक, 2012 में संशोधन करने हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। इसके पश्चात् आजीवन सजा प्राप्त बंदियों के समय पूर्व रियाई हेतु 'राज्य दण्डादेश परिहार पर्षद' की बैठक शीघ्र आहूत करने की कार्रवाई की जायेगी ।

(ज्ञाप सं0 3906–3909 वि0स0, पटना, दिनांक 24 जनवरी, 2017 ई0)।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 3906–3909, दिनांक 24 जनवरी, 2017 के द्वारा गृह विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था। गृह विभाग ने अपने पत्रांक 3087, दिनांक 31 मार्च, 2022 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट–XVIII पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया। जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 04 नवम्बर, 2022 की हुई बैठक में समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 04 नवम्बर, 2022 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुए निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 558 / 17
प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 2080 (गृह–246), दिनांक 20 मार्च, 2017 की (कार्यवाही से)।

प्रश्नकर्ता—श्री केदार प्रसाद गुप्ता, स0 वि0 स0।

विषय—मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत कुढ़नी प्रखंड के मनियारी में कब्रिस्तान की घेराबन्दी कराने के संबंध में ।

सरकारी आश्वासन

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, (मंत्री)—महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत कुढ़नी प्रखंड के मनियारी में कब्रिस्तान की घेराबंदी हो रही है। कार्यपालक अभियंता, कनीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–2 के प्राक्कलन के अनुसार ही ईंट, बालू, सिमेंट का उपयोग हो रहा है। कार्य की गुणवत्ता के संबंध में जिला पदाधिकारी ने इसे ठीक बताया है। प्रश्नगत कब्रिस्तान की घेराबंदी का कार्य प्रगति पर है। इसे जून, 2017 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

श्री केदार प्रसाद गुप्ता—महोदय, क्या सरकार कब्रिस्तान घेराबंदी का ही प्राथमिकता रखता है, तो क्या गणवत्तापूर्ण कार्य कराने की इच्छा रखती है और मैं सरकार से माँग करता हूँ कि क्या चीफ इंजीनियर से इसकी जाँच कराने का विचार रखती है अगर सही काम हो रहा है तो ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, (मंत्री)—मा0 सदस्य के अनुरोध पर मुख्य अभियंता को भेजकर इसकी जाँच करवा दी जायेगी ।

(ज्ञाप सं0 2229–2232 वि0स0, पटना, दिनांक 3 जुलाई, 2017 ई0)।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 2229–2232, दिनांक 03 जुलाई, 2017 के द्वारा गृह विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था। गृह विभाग ने अपने पत्रांक 7284, दिनांक 12 जुलाई, 2022 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट–XIX पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया। जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 04 नवम्बर, 2022 की हुई बैठक में समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 04 नवम्बर, 2022 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुए निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 574/17

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 2094 (गृह–229), दिनांक 20 मार्च, 2017 को (सदन पटल से)।

प्रश्नकर्ता—श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय, "पप्पू", स0वि0स0।

विषय—गोपालगंज जिला के कटेया थाना का क्षेत्रफल अधिक होने के चलते विधि–व्यवस्था के संधारण हेतु जनता बाजार के रद्द ओ0पी0 को पुनः संचालित करने के संबंध में।

सरकारी आश्वासन

प्रभारी मंत्री—वस्तुस्थिति यह है कि गोपालगंज जिला के कटेया थाना का क्षेत्रफल अधिक होने के चलते विधि–व्यवस्था के संधारण हेतु वर्ष 1998 में जनता बाजार में पिकेट/कैम्प की व्यवस्था की गयी थी, जिसे वर्ष 2008 में बंद कर दिया गया। वर्तमान में एक सेक्शन बल और पुलिस पदाधिकारी प्रतिनियुक्त हैं। प्रस्तावित जनता बाजार ओ0पी0 पैतृक थाना कटेया से 20 कि0मी0 तथा निकटतम थाना गोपालपुर से 15 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है। पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना से प्रस्ताव प्राप्त होने पर सरकार के स्तर से रद्द ओ0पी0 को पुनः खोलने की अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

(ज्ञाप सं0 2293–2296 वि0स0, पटना, दिनांक 03 जुलाई, 2017 ई0)।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 2293–2296, दिनांक 03 जुलाई, 2017 के द्वारा गृह विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था। गृह विभाग ने अपने पत्रांक 6016, दिनांक 21 जून, 2022 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट–XX पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया। जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 04 नवम्बर, 2022 की हुई बैठक में समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 04 नवम्बर, 2022 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुए निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 575/17
प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 2139 (गृह–230), दिनांक 20 मार्च, 2017 को (सदन पटल से)।

प्रश्नकर्ता—श्री नरेन्द्र नारायण यादव, स0 वि0 स0।

विषय—मधेपुरा जिलान्तर्गत चौसा प्रखंड के डबरू टोला एवं उदाकिशुनगंज प्रखंड के रहटा कब्रिस्तान की घेराबंदी के संबंध में ।

सरकारी आश्वासन

प्रभारी मंत्री—वस्तुस्थिति यह है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत चौसा प्रखंड के डबरू टोला में कब्रिस्तान की कोई भूमि नहीं है। उदकिशुनगंज प्रखंड के रहटा में दो कब्रिस्तान है जिसमें एक की घेराबन्दी हो चुकी है। दूसरा कब्रिस्तान घेराबंदी हेतु जिला स्तर पर तैयार प्राथमिकता सूची के क्रमांक–3 पर अंकित है। प्राथमिकता सूची के क्रमांक–1 पर अवस्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी हेतु प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है। बारी आने पर प्रश्नगत कब्रिस्तान की घेराबंदी की जायेगी ।

(ज्ञाप सं0 2297–2300 वि0स0, पटना, दिनांक 03 जुलाई, 2017 ई0)।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 2297–2300, दिनांक 03 जुलाई, 2017 के द्वारा गृह विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था। गृह विभाग ने अपने पत्रांक 6399, दिनांक 23 जून, 2022 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट–XXI पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया। जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 04 नवम्बर, 2022 की हुई बैठक में समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 04 नवम्बर, 2022 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुए निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 847 / 17
प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 2556 (गृह–61), दिनांक 27 मार्च, 2017 की (कार्यवाही से)।

प्रश्नकर्ता—श्रीमती सुनीता सिंह चौहान, स0 वि0 स0।

विषय—शिवहर जिलान्तर्गत तरियानी प्रखंड के कोलसो खुर्द, ठाकुर मंदिर एवं राम जानकी ठाकुरबाड़ी मंदिर की चहारदीवारी का निर्माण के संबंध में ।

सरकारी आश्वासन

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, (मंत्री)—वस्तुस्थिति यह है कि बिहार मंदिर चहारदीवारी निर्माण योजना अन्तर्गत चहारदीवारी निर्माण का कार्य जिला स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा अनुमोदित प्राथमिकता सूची के आधार पर किया जाता है। प्राथमिकता सूची में कोलसो खुर्द, ठाकुरबाड़ी मंदिर क्रमांक–12 पर है तथा राम जानकी ठाकुरबाड़ी मंदिर प्राथमिकता क्रमांक–14 पर है। चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में मंदिर चहारदीवारी निर्माण हेतु शिवहर जिला को कुल रु0 5 लाख आवंटित किया गया है जिसके आलोक में प्राथमिकता क्रम में 1 से 4 तक की योजनाओं की प्राशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसकी कुल प्राक्कलित राशि रु0 52 लाख की है। प्राथमिकता सूची के आलोक में शेष मंदिरों की चहारदीवारी निर्माण का कार्य होगा ।

(ज्ञाप सं0 3385–3388 वि0स0, पटना, दिनांक 02 अगस्त, 2017 ई0)।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 3385–3388, दिनांक 02 अगस्त, 2017 के द्वारा गृह विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था। गृह विभाग ने अपने पत्रांक 6723, दिनांक 29 जून, 2022 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट–XXII पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया। जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 04 नवम्बर, 2022 की हुई बैठक में समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 04 नवम्बर, 2022 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुए निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 868 / 17

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 2591 (गृह–258), दिनांक 27 मार्च, 2017 को (सदन पटल से)।

प्रश्नकर्ता—श्री तारकिशोर प्रसाद, स0 वि0 स0।

विषय—कटिहार स्थित पुलिस लाइन में जवानों के रहने के लिये बुनियादी सुविधायें उपलब्ध कराने के संबंध में ।

सरकारी आश्वासन

प्रभारी मंत्री—वस्तुस्थिति यह है कि पुलिस केन्द्र कटिहार में 8 बैरक के अलावा वर्तमान में जवानों के लिये 300 बेड का बैरक बनकर तैयार है, जिसके निकट भविष्य में हस्तांतरित होने की संभावना है। पुलिस लाइन में महिला बैरक, 12 एल0 एस0 ब्लॉक–बी, मैगजीन भवन, 12 एल0 एस0 ब्लू0–ई0, 12 एल0 एस0 ब्लॉक–एच0 एवं ब्लॉक जे0 की मरम्मती एवं रख–रखाव हेतु बिहार पुलिस निर्माण निगम, पटना को कुल राशि 89,77,186 (नवासी लाख सतहतर हजार एक सौ छियासी) रु0 हस्तांतरित किया गया है। कटिहार जिला पुलिस लाइन अस्पताल में डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति हेतु व्यवस्था विभाग से सेवा प्राप्त कर अस्पताल खुलवाया जायेगा ।

(ज्ञाप सं0 3469–3472– वि0स0, पटना, दिनांक 02 अगस्त, 2017 ई0)।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 3469–3472, दिनांक 02 अगस्त, 2017 के द्वारा गृह विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था। गृह विभाग ने अपने पत्रांक 6369, दिनांक 29 जून, 2022 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट–**XXIII** पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया। जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 04 नवम्बर, 2022 की हुई बैठक में समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 04 नवम्बर, 2022 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुए निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 701/19
प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 1830 (गृह–34), दिनांक 22 जुलाई, 2019 की (कार्यवाही से) ।

प्रश्नकर्ता—श्री विनोद प्रसाद यादव, स० वि० स०।

प्रश्न—1. क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत शेरघाटी थाना परिसर में सर्किल इन्स्पेक्टर का कार्यालय भवन जर्जर स्थिति में है, जिसके कारण प्रशासनिक एवं विधि व्यवस्था के कार्यों का निष्पादन करने में काफी कठिनाई हो रही है ;

2. यदि हाँ, तो सरकार उक्त कार्यालय भवन का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है ?

सरकारी आश्वासन

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, (मंत्री)—वस्तुस्थिति यह है कि गया जिला अन्तर्गत शेरघाटी थाना परिसर में सर्किल इंस्पेक्टर का कार्यालय भवन पुराना है। वर्तमान में उक्त भवन से ही प्रशासनिक एवं विधि–विभाग का संधारण किया जाता है तथा कार्यों के निष्पादन में कोई कठिनाई नही है।

भवन की मरम्मती हेतु तकनीकी एवं अनुमोदन प्राक्कलन उपलब्ध कराने का निर्देश बिहार पुलिस बिहार भवन निर्माण निगम को दिया गया है। प्राक्कलन प्राप्त होने के पश्चात् मरम्मती हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

(ज्ञाप सं० 701– वि०स०, पटना, दिनांक 04 अक्टूबर, 2019 ई०)।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 701, दिनांक 04 अक्टूबर, 2019 के द्वारा गृह विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था। गृह विभाग ने अपने पत्रांक 6113, दिनांक 23 जून, 2022 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट–XXIV पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया। जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनाक 04 नवम्बर, 2022 की हुई बैठक में समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 04 नवम्बर, 2022 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुए निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 575/21

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 1322 (गृह–146), दिनांक 8 मार्च, 2021 को (सदन पटल से) ।

प्रश्नकर्ता—श्री प्रणव कुमार, स0वि0स0।

प्रश्न—क्या यह बात सही है कि दिनांक 26 अक्टूबर, 2020 को दुर्गा पूजा मे प्रतिमा विसर्जन के दौरान पुलिस के द्वारा की गई फायरिंग मे बेकापुर मुंगेर निवासी अनुराग पोद्दार की गोली लगने से मृत्यु हो गई थी, यदि हाँ, तो सरकार जाँच कर पीड़ित परिवार को मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों नहीं ?

सरकारी आश्वासन

वस्तुस्थिति यह है कि मुंगेर जिला मे दिनांक 28 अक्टूबर, 2020 को बिहार विधान सभा चुनाव, 2020 का निर्धारित मतदान तिथि एवं वैश्विक महामारी COVID-19 को ध्यान में रखते हुए गृह विभाग, बिहार, पटना के आदेश के आलोक में दुर्गा माँ की प्रतिमा का विसर्जन दिनांक 25 अक्टूबर, 2020 तक किया जाना था, परन्तु दिनांक 26 अक्टूबर, 2020 की शाम तक नहीं किया गया।

प्रशासन द्वारा पूजा समिति के सदस्यों से जल्द विसर्जन करने का अनुरोध किया गया परन्तु भीड़ में शामिल असामाजिक तत्वों/उपद्रवियों के द्वारा प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल पर पथराव एवं फायरिंग की गई। इस फायरिंग मे एक 18 वर्षीय बालक अनुराग पोद्दार, बेकापुर को गोली लगी और मृत्यु हो गयी एवं पुलिस बल सहित कई लोग घायल हुए। घटनास्थल से 3.15 बोर का 02 खोखा तथा 12 बोर का 03 खोखा बरामद हुआ है, जिसे पुलिस द्वारा विधिवत् जप्त किया गया है। इस संबंध में कोतवाली थाना कांड संख्या–298/20, दिनांक 27 अक्टूबर, 2020 दर्ज किया गया है।

मृतक के पिता अमरनाथ पोद्दार के लिखित आवेदन के आधार पर अनुराग कुमार की अज्ञात अभियुक्तों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर देने के आरोप में कोतवाली थाना कांड संख्या–311/20, दिनांक 31 अक्टूबर, 2020, धारा–302/34 भा0द0वि0 दर्ज किया गया है।

मामले की गंभीरता एवं संवेदनशीलता को देखते हुए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष अनुसंधान हेतु उक्त दोनों कांडों का अनुसंधान, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार के पुलिस उपाधीक्षक द्वारा किया जा रहा है।

प्रशासन के काफी प्रयास के बाद भीड़ घटनास्थल से हटी। घटनास्थल के पास पुलिस ने 02 देशी पिस्टल, 03 गोली एवं 01 खोखा बरामद कर विधिवत् जप्त करते हुए कोतवाली थाना कांड संख्या 299/20, दिनांक 27 अक्टूबर, 2020 अंकित किया है।

वर्तमान में सभी कांड अनुसंधानान्तर्गत है। अतः अनुसंधान उपरान्त मुआवजा संबंधी अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी ।

(ज्ञाप सं0 575– वि0स0, पटना, दिनांक 23 अगस्त, 2021 ई0)।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 575, दिनांक 23 अगस्त, 2021 के द्वारा गृह विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था। गृह विभाग ने अपने पत्रांक 9908, दिनांक 01 सितम्बर, 2022 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट–XXV पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया। जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 04 नवम्बर, 2022 की हुई बैठक में समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 04 नवम्बर, 2022 की बैठक मे समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुए निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 771/21

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 1917 (गृह–185), दिनांक 15 मार्च, 2021 को (सदन पटल से) ।

प्रश्नकर्ता—श्री प्रफुल्ल कुमार माँझी, स० वि० स० ।

प्रश्न—क्या यह बात सही है कि गृह विभाग के पत्रांक 3231, दिनांक 11 अप्रील, 2014 के द्वारा एस0आर0ई0 योजना के तहत जमुई जिला अंतर्गत खैरा प्रखंड के ग्राम–गरही में थाना का भवन निर्माण कार्य अभीतक पूर्ण नही हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार थाना गरही के भवन निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नही, तो क्यों ?

सरकारी आश्वासन

वस्तुस्थिति यह है कि एस0आर0ई0 योजना के तहत जमुई जिला अंतर्गत खैरा प्रखड के ग्राम–गरही का थाना भवन लगभग तैयार है एवं बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा शीघ्र हस्तगत करा दिया जाएगा ।

(ज्ञाप सं0 रा0आ0स0–29/2021–771– वि0स0, पटना, दिनांक 25 अगस्त, 2021 ई0)।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 771, दिनांक 25 अगस्त, 2021 के द्वारा गृह विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था। गृह विभाग ने अपने पत्रांक 1458, दिनांक 18 फरवरी, 2022 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट–XXVI पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया। जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 04 नवम्बर, 2022 की हुई बैठक मे समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 04 नवम्बर, 2022 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुए निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 778/21

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 1951 (गृह–183), दिनांक 15 मार्च, 2021 को (सदन पटल से)।

प्रश्नकर्ता—श्री प्रफुल्ल कुमार माँझी, स0 वि0 स0।

प्रश्न—क्या यह बात सही है कि गृह विभाग के पत्रांक–3231, दिनांक 11 अप्रील, 2014 के द्वारा एस0आर0ई0 योजना के तहत जमुई जिला अंतर्गत सिकन्दरा प्रखंड के ग्राम–लछुआड़ में थाना आजतक प्रारंभ नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार लछुआड़ थाना को कबतक संचालित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी आश्वासन

वस्तुस्थिति यह है कि एस0आर0ई0 योजनान्तर्गत जमुई जिला अंतर्गत सिकन्दरा प्रखंड के ग्राम–लछुआड़ का थाना भवन लगभग तैयार है एवं बिहार पुलिस भवन निर्माएण निगम द्वारा शीघ्र हस्तगत करया दिया जाएगा ।

(ज्ञाप सं0 778– वि0स0, पटना, दिनांक 25 अगस्त, 2021 ई0)।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 778, दिनांक 25 अगस्त, 2021 के द्वारा गृह विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था। गृह विभाग ने अपने पत्रांक 9761, दिनांक 26 सितम्बर, 2022 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट–XXVII पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया। जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 04 नवम्बर, 2022 की हुई बैठक में समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 04 नवम्बर, 2022 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुए निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 782/21

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 1971 (गृह–204), दिनांक 15 मार्च, 2021 को (सदन पटल से) ।

प्रश्नकर्ता—श्री अरूण सिंह, स0 वि0 स0।

प्रश्न—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में 01 जनवरी, 1990 के बाद एवं 4 अप्रैल, 2014 के पूर्व सेवानिवृत्त दफादार एवं चौकीदार के आश्रितों की नियुक्ति करने का प्रावधान था ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के शिवहर एवं अन्य जिलों में गृह विभाग द्वारा वर्ष 2010 में सेवानिवृत्त दफादार एवं चौकीदार के आश्रितों की नियुक्ति की गयी थी ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार चौकीदारों एवं दफादारों के शेष बचे 5000 पदों पर नियुक्ति करने का कबतक विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी आश्वासन

(1) यह बात सही है कि गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के परिपत्र सं0–11287, दिनांक 20 दिसम्बर, 1995 द्वारा दफादार/चौकीदार पंचायत की मांगों के आलोक में यह निर्णय लिया गया था, कि "किसी चौकीदार/दफादार के दिनांक 01 जनवरी, 1990 के बाद अवकाश प्राप्त करने पर उनके नामित (नौमनी) तथा उनकी पत्नी या पुत्र या भाई या भतीजा या नाती को चौकीदार के पद पर केवल एक बार अपवादस्वरूप बॉण्ड लेकर नियुक्त किया जाएगा।"

इसके आलोक में राज्य के कई जिलों में नियुकित आरम्भ हो गई, परन्तु माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर याचिका सं0–6997/2003 राजकुमार गुप्ता बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में पारित न्यायादेश दिनांक 27 अगस्त, 2003 के आलोक में गृह विभाग के पत्रांक–12094, दिनांक 11 नवम्बर, 2004 द्वारा उपर्युक्त वर्णित परिपत्र (11287, दिनांक 20 दिसम्बर, 1995 को निर्गत की तिथि अर्थात दिनांक 20 दिसम्बर, 1995 से भूतलक्षी प्रभाव से निरस्त कर दिया गया।

(2) उपरोक्त खण्ड (1) के उत्तर में स्थिति स्पष्ट की गई है। विभागीय परिपत्र सं0–11287, दिनांक 20 दिसम्बर, 1995 को भूतलक्षी प्रभाव से निरस्त करने के पूर्व शिवहर सहित कुछ जिलों में नियुक्ति की गई थी।

(3) खण्ड (1) के उत्तर में यथाउल्लिखित स्थिति के आलोक में वर्ष 1990 से 5 मार्च, 2014 के पूर्व सेवानिवृत्त चौकीदार/दफादार के आश्रितों की नियुक्ति विचारणीय नहीं है।

फिर भी चौकीदार एवं दफादार के रिक्त पदों पर गृह विभाग की अधिसूचना सं0–9339, दिनांक 25 अगस्त, 2006 के आलोक में नियमित नियुक्ति और सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्रों के आलोक में अन्य कर्मियों की भाँति अनुकम्पात्मक नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही गृह विभागीय अधिसूचना सं0 1896, दिनांक 5 मार्च, 2014 के आलोक में भी चौकीदार संवर्ग के कर्मियों द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आधार पर अपने आश्रित को चौकीदार के पद पर नियुक्ति हेतु नामित किये जाने का प्रावधान है। राज्य के सभी जिलो में उपरोक्त प्रावधानों के आलोक में नियुक्ति की जा रही है।

(ज्ञाप सं0 782– वि0स0, पटना, दिनांक 25 अगस्त, 2021 ई0)।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 782, दिनांक 25 अगस्त, 2021 के द्वारा गृह विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था। गृह विभाग ने अपने पत्रांक 5036, दिनांक 25 मई, 2022 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट–XXVIII पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया। जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनाक 04 नवम्बर, 2022 की हुई बैठक में समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 04 नवम्बर, 2022 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को ड्रॉप किया गया ।

आश्वासन संख्या 21/22
प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 50 (गृह–95), दिनांक 28 फरवरी, 2022 को (सदन पटल से) ।

प्रश्नकर्ता—श्री विनय बिहारी, स0 वि0 स0।

प्रश्न—(1) क्या यह बात सही है कि बिहार के थानों में गाड़ियों के परिचालन हेतु मात्र 10 लीटर डीजल प्रतिमाह दिया जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि गाड़ियों के रख–रखाव के अभाव में भी गाड़ियों की भारी दुर्दशा है ;

(3) क्या यह बात सही है कि विभिन्न थानों में पन्द्रह से बीस साल तक की पुरानी जर्जर गाड़ियों का इस्तेमाल मजबूरी में किया जाता है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार प्रतिमाह 110 लीटर के बजाय 220 लीटर डीजल देने एवं थानों को दस साल पुरानी गाड़ियों के बदले नई गाड़ी उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी आश्वासन

(1) वस्तुस्थिति यह है कि स्टाफ कार एवं सरकारी वाहनों के लिए मासिक खपत 110 लीटर ईंधन निर्धारित की गई है।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि मुख्यालय से संबंधित वाहनों का रख–रखाव एवं मरम्मती संबंधित कार्य पुलिस परिवहन मुख्यालय, बिहार, पटना के स्तर से एवं जिलों को आवंटित वाहनों का रख–रखाव एवं मरम्मती का कार्य जिला स्तर से किया जाता है, जिसके लिए आवंटन उपलब्ध रहता है ।

(3) उपरोक्त कंडिका–(2) में स्थिति स्पष्ट की गई है।

(4) बिहार के उग्रवाद प्रभावित जिलों के देहाती क्षेत्र में अवस्थित थानों हेतु प्रति वाहन प्रतिमाह 225 लीटर एवं उग्रवाद प्रभावित शहरी क्षेत्रों में अवस्थित थानों हेतु प्रति वाहन प्रतिमाह 200 लीटर ईंधन व्यय निर्धारित है। पटना, मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर जैसे संवेदनशील जिलों हेतु पेट्रोलिंग वाहनों के लिए मासिक खपत प्रति वाहन 110 लीटर से बढ़कर 175 लीटर निर्धारित है।

पुरानी गाड़ियों के बदले नई गाड़ियों का क्रय किया जाना निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। वित्तीय वर्ष 2016–17 से वित्तीय वर्ष 2021–22 तक विभिन्न प्रकार के 1924 वाहन यथा एस0यू0वी0/एल0एम0वी0/मोटर साईकिल/कैदी वाहन/बी0पी0 वाहन/एम्बुलेंस/बस तथा क्रेन का क्रय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में ERSS परियोजना के उपयोग हेतु 400 वाहनों के क्रय का आदेश निर्गत किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के कुल 548 वाहनों के क्रय की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

(ज्ञाप सं0 21– वि0स0, पटना, दिनांक 5 अप्रील, 2022 ई0)।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 21, दिनांक 05 अप्रील, 2022 के द्वारा गृह विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था। गृह विभाग ने अपने पत्रांक 9517, दिनांक 19 सितम्बर, 2022 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट–XXIX पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया। जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 04 नवम्बर, 2022 की हुई बैठक में समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 04 नवम्बर, 2022 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुए निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 376/22

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 656 (गृह–156), दिनांक 7 मार्च, 2022 को (सदन पटल से)।

प्रश्नकर्ता—श्री महबूब आलम, स0 वि0 स0।

प्रश्न—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत नौबतपुर प्रखंड के अमरपुरा ग्राम निवासी स्वतंत्रता सेनानी लालमुनी देवी, पति स्वतंत्रता सेनानी स्व0 सत्यनारायण सिंह की मृत्यु 19 मई, 2017 को हो गई थी ,

(2) क्या यह बात सही है कि स्वतंत्रता सेनानी लालमुनी देवी जी को स्वतंत्रता सेनानी पेंशन पी0पी0 ओ0 नं0–एस0सी0 15155 पोल–पेंशन खाता नं0–000134006008682, बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, बांकीपुर पटना से मिलता था ;

(3) क्या यह बात सही है कि स्वतंत्रता सेनानी लालमुनी देवी की मृत्यु के चार साल 10 माह बीत जाने के बावजूद अभीतक उनके उत्तराधिकारी कृपा नारायण सिंह को उनके पेंशन खाते में बचे राशि का भुगतान नहीं हो सका है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त स्वतंत्रता सेनानी के पेंशन खाते में बचे राशि का भुगतान उनके उत्तराधिकारी को कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी आश्वासन

(1) स्वीकारात्मक है।

(2) स्वीकारात्मक है।

(3) स्वीकारात्मक है।

(4) वस्तुस्थिति यह है कि जिला पदाधिकारी, पटना के पत्रांक–638, दिनांक 4 मार्च, 2022 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार आश्रिता स्वतंत्रता सेनानी स्व0 लालमुनी देवी, पी0पी0 ओ0नं0–एस0सी0 15155 (पोल) पेंशन खाता सं0–000134006008682 में जीवनकालीन अवशेष राशि भुगतान हेतु विपत्र कोषागार, पटना में भेजा जा चुका है।

(ज्ञाप सं0–376 वि0रा0, पटना, दिनांक 06 मई, 2022 ई0)।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 376, दिनांक 06 मई, 2022 के द्वारा गृह विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था। गृह विभाग ने अपने पत्रांक 246, दिनांक 24 जून, 2022 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट–XXX पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया। जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 04 नवम्बर, 2022 की हुई बैठक में समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 04 नवम्बर, 2022 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुए निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 385/22

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 680 (गृह–146), दिनांक 7 मार्च, 2022 को (सदन पटल से) ।

प्रश्नकर्त्ता—श्री पवन कुमार यादव, स0 वि0 स0।

प्रश्न—क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत कहलगांव प्रखंड के अंतीचक पंचायत में स्थित विक्रमशिला खुदाई स्थल के नजदीक पर्यटकों के विश्राम के लिए बने भवन में अंतीचक थाना पिछले कई वर्षों से संचालित है, जबकि अंतीचक थाने का नया भवन बनकर तैयार है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक अंतीचक थाने को उक्त नए भवन में शिफ्ट करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी आश्वासन

वस्तुस्थिति यह है कि भागलपुर जिलान्तर्गत अंतीचक थाना नए भवन में आंशिक रूप से शिफ्ट हुआ है तथा कुछ पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल रह रहे हैं। नए थाना भवन में अन्य सरकारी सम्पत्ति भी रखा गया है। अंतीचक थाना की सरकारी सम्पत्तियों को एक सप्ताह के अंदर नए भवन में शिफ्ट किया जाना संभावित है।

(ज्ञाप सं0 385 वि0स0, पटना, दिनांक 06 मई, 2022 ई0)।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 385, दिनांक 6 मई, 2022 के द्वारा गृह विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था। गृह विभाग ने अपने पत्रांक 6529, दिनांक 04 जुलाई, 2022 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट–XXXI पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया। जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 04 नवम्बर, 2022 की हुई बैठक में समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 04 नवम्बर, 2022 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुए निष्पादित किया गया ।

परिशिष्ट

परिशिष्ट–I

सं0 2/वि0स0–10–74/2016–10482–गृ0आ0

बिहार सरकार

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

प्रेषक

सुधांशु कुमार चौबे,
सरकार के उप–सचिव ।

सेवा में

अवर–सचिव,
विधान सभा सचिवालय,
बिहार विधान सभा, पटना।

पटना, दिनांक 23 दिसम्बर, 2021 (ई0)।

विषय—श्री विश्व मोहन भारती, स0वि0स0 के तारांकित प्रश्न सं0 1394 (ए–99) से उत्पन्न आश्वासन सं0–196/07 का कार्यान्वयन प्रतिवेदन भेजने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में अपर पुलिस महानिदेशक (बजट/अपील/कल्याण) बिहार, पटना के पत्रांक 1202, दिनांक 30 नवम्बर, 2021 की छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना है कि सुपौल जिलान्तर्गत सुखनगर पंचायत का बालेश्वर चौक प्रतापगंज थाना से 05 कि0मी0 पश्चिम–दक्षिण दिशा में स्थित है। अपराध की दृष्टिकोण से बालेश्वर चौक पर विगत पांच वर्षो मे गम्भीर आपराधिक घटना घटित नहीं हुई है। विगत 05 वर्षों में मात्र एक हत्या का कांड एवं 09 चोरी की घटना प्रतिवेदित हुआ है। पुलिस अधीक्षक, सुपौल के द्वारा उपलब्ध कराये गये अपराध आकड़ों से स्पष्ट है कि पैतृक थाना प्रतापगंज से ही बालेश्वर चौक पर अपराध एवं विधि व्यवस्था नियंत्रण में है। अतएव सुपौल जिलान्तर्गत प्रतापगंज थानान्तर्गत सुखनगर पंचायत के बालेश्वर चौक में वर्तमान में पुलिस शिविर की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव नहीं है।

अनुरोध है कि आश्वान सं0 196/07 को बिहार विधान सभा की लंबित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाय ।

अनु0:–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
सुधांशु कुमार चौबे,
सरकार के उप–सचिव।

संo विoमंo / 41–4–419–2018–1202

बिहार पुलिस मुख्यालय

(कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग)

प्रेषक

अपर पुलिस महानिदेशक (बजट / अपील / कल्याण),
बिहार, पटना ।

सेवा में

श्री सुधांशु कुमार चौबे,
सरकार के अपर सचिव,
गृह विभाग (आरक्षी शाखा),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 30 नवम्बर, 2021 (ई0)।

प्रसंग—गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना का पत्र सं0 2 दिनांक 27 नवम्बर, 2018 ।

विषय—श्री विश्व मोहन भारती, माननीय स0वि0स0 के तारांकित प्रश्न से उत्पन्न सरकारी आश्वासन सं0 196 / 07 का कार्यान्वयन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में कहना है कि श्री विश्व मोहन भारती, माननीय स0वि0स0 के तारांकित प्रश्न से उत्पन्न सरकारी आश्वासन सं0 196 / 07 की उत्तर सामग्री पुलिस अधीक्षक, सुपौल का पत्रांक 932 / सा0शा0, दिनांक 29 अक्टूबर, 2021 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। प्राप्त प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि सुपौल जिलान्तर्गत सुखनगर पंचायत का बालेश्वर प्रतापगंज थाना से 05 कि0मी0 पश्चिम–दक्षिण दिशा में स्थित है। अपराध की दृष्टिकोण से बालेश्वर चौक पर विगत पाँच वर्षों में गंभीर आपराधिक घटना घटित नहीं हुई है। विगत पाँच वर्षों में मात्र 01 हत्या का काण्ड एवं 09 चोरी की घटना प्रतिवेदित हुआ है। अपराध आँकड़ों से स्पष्ट है कि पैतृक थाना प्रतापगंज से ही बालेश्वर चौक पर अपराध एवं विधि व्यवस्था नियंत्रण में है।

अतः सुपौल जिलान्तर्गत प्रतापगंज, थानान्तर्गत सुखनगर पंचायत के बालेश्वर चौक में वर्तमान में पुलिस शिविर की स्थापना का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

अनु0–यथोपरि ।

विश्वासभाजन,
(ह0) अस्पष्ट,
अपर पुलिस महानिदेशक (बजट / अपील / कल्याण),
बिहार, पटना।

पत्रांक 932/सा0शा0

पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, सुपौल

सेवा.में

पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण),
बिहार, पटना।

सुपौल, दिनांक 29 अक्टूबर, 2021 (ई0)।

प्रसंग—भवदीय कार्यालय का ज्ञापांक 939, दिनांक 24 सितम्बर, 2021 ।

विषय—श्री विश्व मोहन भारती, माननीय स0वि0स0 के तारांकित प्रश्न से उत्पन्न सरकारी आश्वासन सं0 196/07 का कार्यान्वयन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त प्रसंग एवं विषय के संदर्भ में सादर सूचित करना है कि श्री विश्व मोहन भारती, माननीय स0वि0स0 के तारांकित प्रश्न से उत्पन्न सरकारी आश्वासन सं0 196/07 में प्रतापगंज थाना क्षेत्र अन्तर्गत सुखनगर पंचायत में बालेश्वर चौक पर पुलिस शिविर की स्थापना हेतु निर्धारित मानक के अनुरूप बिन्दुओं पर पुलिस निरीक्षक–सह–अंचल पुलिस निरीक्षक, वीरपुर द्वारा प्राप्त प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरान्त निम्नांकित बाते प्रकश में आई है:–

प्रस्तावित पुलिस शिविर प्रतापगंज थाना से 5 किलोमीटर पश्चिम–दक्षिण दिशा में है अपराध की दृष्टिकोण से बालेश्वर चौक पर विगत पाँच वर्षों में कोई गंभीर अपराध घटित नहीं हुई है। विगत पाँच वर्षों में मात्र 01 हत्या का कांड प्रतिवेदित हुआ है।

प्रस्तावित पुलिस पोस्ट का विगत पाँच वर्षों का अपराध आँकड़ा:–

वर्ष	हत्या	डकैती	लूट	चोरी	गृहभेदन
2017	–	–	–	3	–
2018	–	–	–	3	–
2019	01	–	–	1	–
2020	–	–	–	–	–
2021	–	–	–	2	–

उपरोक्त अपराध आँकड़ा से स्पष्ट है कि पैतृक थाना प्रतापगंज से ही अपराध नियंत्रण/विधि–व्यवस्था की दिशा में सुचारू रूप से अबतक कार्य किया जाता रहा है। जिससे अपराध नियंत्रण में है।

अतएव प्रतापगंज थानान्तर्गत सुखनगर पंचायत के बालेश्वर चौक में फिलहाल पुलिस शिविर की स्थापना का कोई औचित्य प्रतित नहीं होता है।

विश्वासभाजन,
(ह0) अस्पष्ट,
पुलिस अधीक्षक, सुपौल।

परिशिष्ट–II

सं0 09/वि0स0–10–05/2009–7505/गृ0आ0

बिहार सरकार

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

प्रेषक

गिरीश मोहन ठाकुर,
सरकार के अवर–सचिव।

सेवा में

उप–सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय,
पटना।

पटना, दिनांक 27 सितम्बर, 2021 (ई0)।

विषय—सरकारी आश्वासन संख्या 598/09 के संबंध में ।

प्रसंग—विभागीय पत्रांक–481, दिनांक 18 जनवरी, 2010 ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आश्वासन संख्या 598/09 के संबंध में सदन में माननीय अध्यक्ष बिहार विधान सभा द्वारा यह नियमन दिया गया था कि माननीय सदस्य के पास इस प्रसंग में यदि कोई साक्ष्य उपलब्ध हो तो उसे उपलब्ध करायेंगे। इस संबंध में विभागीय पत्रांक 481, दिनांक 18 जनवरी, 2010 के द्वारा माननीय सदस्य श्री वर्मा द्वारा यदि कोई साक्ष्य उपलब्ध कराया गया हो तो उसे शीघ्रातिशीघ्र विभाग को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, परन्तु इस बिन्दु पर कोई साक्ष्य विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया है।

अतः स्मारित करते हुए अनुरोध है कि यदि कोई साक्ष्य उपलब्ध कराया गया हो तो विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय, जिसके आधार पर छानबीन कराई जा सके ।

साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में लंबित आश्वासन को विलोपित करने की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन,
गिरीश मोहन ठाकुर,
सरकार के अवर–सचिव।

परिशिष्ट–III

सं0 6/वि0स0–01–07/2011–75/गृ0आ0

बिहार सरकार

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

प्रेषक

ब्रजेश कुमार सिन्हा,
उप–निदेशक।

सेवा में

अवर–सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय,
पटना।

पटना, दिनांक 05 जनवरी, 2022 (ई0)।

विषय—श्री प्रदीप कुमार, स0वि0स0 द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न सं0 (ए–17) से उत्पन्न आश्वासन सं0 193/2011 का कार्यान्वयन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि सरकारी आश्वासन संख्या 193/2011 के आलोक में बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना से कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। उक्त कार्यान्वयन प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है (छायाप्रति संलग्न) कि नवादा जिलान्तर्गत धमौल ओ0पी0 भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है एवं वर्तमान में धमौल ओ0पी0 का कार्य संचालित नवनिर्मित भवन में हो रहा है ।

अतः अनुरोध है कि श्री प्रदीप कुमार, स0वि0स0 द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न सं0 ए–17 से उत्पन्न आश्वासन सं0–193/2011 को विलोपित कराने की कृपा की जाय ।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ब्रजेश कुमार सिन्हा,
उप–निदेशक।

संo विoमंo / 41–4–54–2011 / 1181

बिहार पुलिस मुख्यालय

(कार्मिक एवं कल्याण विभाग)

प्रेषक

अपर पुलिस महानिदेशक (बजट / अपील / कल्याण),
बिहार, पटना।

सेवा में

श्री ब्रजेश कुमार सिन्हा,
उप–निदेशक,
गृह विभाग (आरक्षी शाखा),
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक 26 नवम्बर, 2021 (ई0)।

प्रसंग—गृह (आरक्षी) विभाग का पत्र सं0 06 / 3116, दिनांक 08 अप्रील, 2021 ।

विषय—श्री प्रदीप कुमार, माननीय स0वि0स0 द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या (ए–17) से उत्पन्न आश्वासन संख्या–193 / 11 का कार्यान्वयन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसर उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि श्री प्रदीप कुमार, माननीय स0वि0स0 द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या (ए–17) से उत्पन्न आश्वासन संख्या 193 / 11 का कार्यान्वयन प्रतिवेदन पुलिए अधीक्षक, नवादा का ज्ञापांक–237 / सा0शा0, दिनांक 30 सितम्बर, 2021 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा प्राप्त हुआ है। प्राप्त प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि नवादा जिलान्तर्गत धमौल ओ0पी0 भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है एवं वर्तमान में धमौल ओ0पी0 का कार्य संचालन नवनिर्मित भवन में हो रहा है।

अनु0–यथोपरि।

विश्वासभाजन,
(ह0) अस्पष्ट,
अपर पुलिस महानिदेशक (बजट / अपील / कल्याण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–237 / सा0शा0

पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, नवादा

प्रेषक

पुलिस अधीक्षक,
नवादा।

सेवा में

पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण),
बिहार, पटना।

नवादा, दिनांक 30 सितम्बर, 2021 (ई0)।

प्रसंग—आपका पत्रांक / वि0मं0 / 41–4–54–2011 / 558, दिनांक 27 मई, 2021 ।

विषय—श्री प्रदीप कुमार, माननीय स0वि0स0 द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या (ए–17) से उत्पन्न आश्वासन संख्या 193 / 11 का कार्यान्वयन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महाशय,

उपरोक्त प्रसंग एवं विषय के संबंध में कहना है कि श्री प्रदीप कुमार, माननीय स0वि0स0 द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या (ए–17) से उत्पन्न आश्वासन संख्या 193 / 11 का कार्यान्वयन प्रतिवेदन मांगी गई विवरणी के का जवाब ज्ञापांक 241 / सा0शा0, दिनांक 25 जुलाई, 2020 को भेजा जा चुका है परन्तु आपका पत्रांक / वि0मं0 / 41–4–54–2011 / 558, दिनांक 27 मई, 2021 के आलोक में नवादा जिले के धमौल ओ0पी0 थाना नवनिर्मित भवन का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। जिसके उपरांत वर्तमान में धमौल ओ0पी0 का कार्य संचालन नवनिर्मित भवन में हो रहा है।

अतः श्रीमान् को सादर सूचनार्थ ।

अनु0:–यथोपरि।

विश्वासभाजन,
(ह0) अस्पष्ट,
पुलिस अधीक्षक,
नवादा ।

परिशिष्ट–IV

सं0 2/वि0स0–10–137/2016–2762/गृ0आ0

बिहार सरकार

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

प्रेषक

ब्रजेश कुमार सिन्हा,
उप–निदेशक।

सेवा में

अवर–सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय,
पटना।

पटना, दिनांक 15 मार्च, 2022 (ई0)।

विषय—श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, स0वि0स0 के तारांकित प्रश्न संख्या 2078 (ए–30) से उत्पन्न सरकारी आश्वासन सं0 743/12 का कार्यान्वयन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि सरकारी आश्वासन संख्या 743/12 के आलोक में बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना का पत्रांक 1180, दिनांक 26 नवम्बर, 2021 द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। उक्त कार्यान्वयन प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है (छायाप्रति संलग्न) कि सी0सी0टी0एन0एस0 परियोजना के अन्तर्गत राज्य के सभी थानों एवं जिलों को आपस में जोड़ा गया है। इसी क्रम में पटना और भागलपुर जिला के सभी थाना और पुलिस कार्यालयों को एक दूसरे से जोड़ा गया है।

अतः अनुरोध है कि श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, स0वि0स0 के तारांकित प्रश्न संख्या–2078(ए–30) से उत्पन्न सरकारी आश्वासन सं0 743/12 को विलोपित कराने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ब्रजेश कुमार सिन्हा,
उप–निदेशक।

सं0 वि0मं0 / 41–4–4–2015 / 1180

बिहार पुलिस मुख्यालय

(कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग)

प्रेषक

अपर पुलिस महानिदेशक (बजट / अपील / कल्याण),
बिहार, पटना।

सेवा में

श्री ब्रजेश कुमार सिन्हा,
उप–निदेशक,
गृह विभाग (आरक्षी शाखा),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 26 नवम्बर, 2021 (ई0)।

प्रसंग—गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना का पत्र सं0 2 / 5998, दिनांक 17 सितम्बर, 2020।

विषय—श्री अरूण शंकर प्रसाद, माननीय स0वि0स0 एवं अन्य से प्राप्त ध्यानाकर्षण से उत्पन्न आश्वासन सं0 136 / 14 एवं श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त आश्वासन सं0 743 / 12 का कार्यान्वयन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में कहना है कि श्री अरूण शंकर प्रसाद, माननीय स0वि0स0 एवं अन्य से प्राप्त ध्यानाकर्षण से उत्पन्न आश्वासन स0 136 / 14 एवं श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त आश्वासन सं0 743 / 12 का अनुपालन प्रतिवेदन एस0सी0आर0बी0 एवं आधुनिकीकरण, बिहार, पटना का पत्रांक 1414 / SCRB, दिनांक 01.10.2021 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। प्राप्त प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि सी0सी0टी0एन0एस0 परियोजना के अन्तर्गत राज्य के सभी थानों एवं जिलों को आपस में जोड़ा गया है। इसी क्रम में पटना और भागलपुर जिला के सभी थाना और पुलिस कार्यालयों को एक दूसरे से जोड़ा गया है।

अनु0–यथोपरि।

विश्वासभाजन,
(ह0) अस्पष्ट,
पुलिस महानिदेशक (बजट / अपील / कल्याण),
बिहार, पटना।

पत्रांक–1414/SCRB

बिहार पुलिस मुख्यालय

(आधुनिकीकरण, अपराध अभिलेख एवं प्रोविजन प्रभाग)

प्रेषक

डॉ० कमल किशोर सिंह, भा०पु०से०,
अपर पुलिस महानिदेशक,
एस०सी०आर०बी० एवं आधुनिकीकरण–सह–
नोडल पदाधिकारी CCTNS, बिहार, पटना।

सेवा में

अपर पुलिस महानिदेशक (बजट, अपील एवं कल्याण),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 (ई0)।

प्रसंग—पुलिस मुख्यालय का पत्रांक 23/वि0मं0, दिनांक 08 जनवरी, 2021 ।

विषय—श्री अरूण शंकर प्रसाद, स0वि0स0 एवं अन्य से प्राप्त ध्यानाकर्षण से उत्पन्न आश्वासन सं0 136/14 एवं श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह से प्राप्त आश्वासन सं0 743/12 का कार्यान्वयन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के संदर्भ में कहना है कि सी0सी0टी0एन0एस0 परियोजना के अन्तर्गत राज्य के सभी थानों एवं जिलों को आपस में जोड़ा गया है। इसी क्रम में पटना और भागलपुर जिला के सभी थाना और पुलिस कार्यालयों को एक दूसरे से जोड़ा गया है। इसी क्रम में थानों को न्यायालय से भी जोड़ा गया है। सी0सी0टी0एन0एस0 का विस्तृत प्रतिवेदन एनेक्चर ए (01 पृष्ठ) तथा अद्यतन स्थिति 04 पृष्ठ में संलग्न है।

अनुलग्नकः–यथोपरि।

विश्वासभाजन,
डॉ0 कमल किशोर सिंह,
अपर पुलिस महानिदेशक।

Annexure- "A"

CCTNS Project की वर्तमान स्थिति

बिहार राज्य के सभी 894 पुलिस थाने जो CCTNS Project के अन्तर्गत आच्छादित है, उन्हें CCTNS के वर्तमान Software के माध्यम से क्रियाशील बनाया जा चुका है तथा इनमें से अधिकांश पुलिस थानों में निर्बाध रूप से Station Diary, Case Diary, FIR, Charge Sheet, UD प्रविष्टि, गुमशुदा व्यक्तियों की जानकारी एवं गिरफ्फतारी मेमो आदि की Online Entry की जा रही है। CCTNS के डाटा को ICJS के माध्यम ये Real Time में न्यायालयों के साथ साझा भी किया जा रहा है।

(2) पुलिस थानों के अतिरिक्त 380 में से 222 वरीय कार्यालय भी CCTNS Network से जुड़े हुए हैं, जिसके द्वारा जिला के वरीय पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक Dash Board इस्तेमाल कर रहे हैं।

(3) 381 पुलिस थानों में Hardware के लिए STIC दिनांक 15 जुलाई, 2021 को आयोजित किया गया था और इन शेष थानों के लिए जहाँ Hardware क्रियाशील नहीं है, परन्तु थानों द्वारा Online Entry मौजूदा Hardware के पुनर्आवंटन के द्वारा किया जा रहा है, इन थानों में भी जल्द ही Hardware आपूर्ति तथा क्रियान्वयन संभावित है।

(4) Data Centre एवं Disaster Recovery Centre को CCTNS के मौजूदा Software के द्वारा क्रियाशील कर दिया गया है। M/s TCS के अनुसार पचास लाख से अधिक पृष्ठों के पुलिस अभिलेखों Digitized हो चुके हैं और इनकी प्रविष्टि प्रक्रियाधीन है। इसे Verification के पश्चात् Data को CCTNS Database में स्थानान्तरित कर दिया जायेगा। विशिष्ट परियोजना प्रगति प्रतिवेदन इस पत्र के साथ Annexure-'AI' के रूप में संलग्न है।

(5) दिनांक 24 सितम्बर, 2021 तक Online प्रविष्टि किये गये पुलिस अभिलेखों की श्रेणीवार विवरणी निम्नांकित तालिका में दी गई है:–

Sr. No	Type of Police Records	Number of Online entries of Records.
1.	Station Diaries	7414044
2.	FIRs	222497
3.	Arrest Memos	31382
4.	Case Diaries	226501
5.	Propertie recovered	28874
6.	Chargesheets	21421
7.	Unnatural Deaths (UDs)	8221
8.	Investigation Visits	16866
9.	Final Reports	5766
10.	Property Stolen Applications	3321
11.,	Missing Persons	475

परिशिष्ट – ए1 परियोजना की प्रगति की विस्तृत स्थिति दिनांक 30.09.2021 (सी0सी0टी0एन0एस0, बिहार)

कार्यालयों का प्रकार/ गतिविधि	कार्यालयों की संख्या	संचालित कार्यालयों की संख्या	संचालन लंबित कार्यालयों की संख्या	अभ्युक्ति
पुलिस थानों	894	894	0	• कुल 894 पुलिस थानों के अन्तर्गत **CCTNS** परियोजना क्रियाशील है। वर्तमान में इनमें से अधिकांश पुलिस थानों द्वारा **CCTNS** प्रणाली में **FIR**, स्टेशन डायरी, केस डायरी, अप्राकृतिक मौत, गिरफ्तारी मेमो आदि सहित पुलिस अभिलेखों का निर्बाध ऑन लाईन प्रविष्टियाँ करना शुरू कर दिया है। • 381 पुलिस थानों के लिए हार्डवेयर आ चुके हैं और इन्हें शेष थानों पर स्थापित किया जा रहा है। • इसके अलावा इन पुलिस थानों के **CCTNS** के डाटा का **ICIS** के माध्यम से न्यायालयों के साथ समयोचित आदान–प्रदान किया जा रहा है।
उच्च कार्यालय	380	222	158	• मेसर्स **TCS** द्वारा सभी 380 उच्च कार्यालयों में हार्डवेयर वितरित किया गया है। वर्तमान में, 380 उच्च कार्यालयों में से 222 उच्च कार्यालय में ऑनलाईन कार्य से संचालन कर निगरानी कर रहे है। • 44 जिला के वरीय पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक (रेल सहित) कार्यालयों में से अधिकांश ने अपने संबंधित जिलों के डैशबोर्ड और अपराध रिकॉर्ड **access** करना शुरू कर दिया है। • शेष उच्च कार्यालयों में साईट तैयार करने का कार्य अग्रिम चरण में है। साईट की तैयारी पूरी होते ही ये शेष उच्च कार्यालयों भी चालू हो जायेंगे।
डाटा सेन्टर		1		• **BRAIN- DC** में डाटा सेन्टर को चालू कर दिया गया है।
आपदा रिकवरी केन्द्र		1		• **NDC**, भुवनेश्वर में **Data Recovery Centre** को चालू कर दिया गया है।

डाटा डिजिटाईजेशन	10 साल का पुलिस अभिलेखों			• जिलो में डाटा डिजीटाईज़ेशन का कार्य प्रगति पर है। जैसा कि मेसर्स TCS द्वारा सूचित किया गया है, वर्तमान में लगभग 50 लाख डिजीटल पृष्ठों वाला 1 लाख से अधिक केस फाईलों की डाटा स्कैनिंग की गयी हैं। • एक बार डिजीटाईड डाटा की गुणवत्ता की जांच की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद, डिजीटल डाटा को CCNTS सिस्टम में स्थापित कर दिया जायेगा।
प्रशिक्षण / हैंडहोल्डिंग				• अधिकांश पुलिस थानों में छः महीने की निर्धारित अवधि के लिए हैण्डहोलडिंग संसाधन दिया गया है। • इसके अलावा मेसर्स TCS द्वारा हैंडहोलडिंग संसाधन से हैंडहोलडिंग –सह– प्रशिक्षण अब दो महीने की अवधि के दौरान पुलिस थानों में हमारे पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। • इसके अलावा, पुलिस कर्मियों का प्रशिक्षण बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर में भी आयोजित किया जा रहा है। • परिणामस्वरूप, अधिकांश पुलिस थानों, सीसीटीएनएस के उपयोग के मामले में परिपक्वता की ओर बढ़ रहे हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि पुलिस कर्मी पुलिस अभिलेख की ऑनलाईन प्रविष्टियों के साथ स्वतंत्र रूप से पुलिस थानों को संचालित करने में सक्षम हो गए हैं। • साथ ही, मेसर्स TCS को अनुबंध की आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण से संबंधित सभी गतिविधियों को पूरा करने का निर्देश दिया गया है। • मेसर्स TCS द्वारा विशेष WebEX सत्र जिला वरीय पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक के लिए आयोजित किये गये थे। • थानाध्यक्षों के लिए प्रति सप्ताह 2–3 WebEX सत्र भी आयोजित किये जा रहे हैं।
प्रशिक्षण केन्द्र	5	2	3	• मेसर्स TCS द्वारा 02 प्रशिक्षण केन्द्रों (RTC पटना और बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर) को स्थापित किये गये हैं। परियोजना के तहत 05 प्रशिक्षण केन्द्र (04 RTC और 01 बिहार पुलिस अकादमी) स्थापित किये जाने हैं, जबकि शेष 03 RTC पर कार्य प्रगति पर है।

				• शेष 03 प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए स्थानों की पहचान की गयी है और जिला पुलिस अधीक्षक इन स्थानों पर साईट की तैयारी कर रहे हैं। हलांकि, मेसर्स TCS ने सूचित किया है कि हलांकि उन्हें प्रशिक्षण केन्द्र के लिए जगह मिल गयी है, लेकिन सरकार द्वारा कोविद –19 के मद्येनज़र लगाये गये लॉक डाउन के कारण प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना से संबंधित गतिविधियों को रोका गया था । • अब इन प्रशिक्षण केन्द्रों को चालू कर प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध कराया जायेगा।
स्थल तैयारी	1274	1130 (513+617)	144	• BPBPC के अनुसार पहले चरण के तहत 513 पुलिस थानों में साईट तैयार करने का काम पहले ही पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा BPBCC ने हाल ही में (15.09.21) पुष्टि की है कि चरण–2 में 760 पुलिस कार्यालयों में से 623 में साईट की तैयारी भी पूरी हो चुकी है।
नेटवर्क कनेक्टिविटी	1274	1014	260	• अधिकांश पुलिस को BSWAN 2.0 के माध्यम से नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान की गयी है। • इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि नेटवर्क कनेक्टिविटी पुलिस थानों के लिए एक चुनौती है क्योंकि अबाधित नेटवर्क कनेक्टिविटी सुनिश्चित नहीं की जा रही है। • नेटवर्क कनेक्टिविटी पर नवीनतम अपडेट BSEDC से मांगा गया है। हलांकि हमारे पास अभीतक BSEDC ने नेटवर्क कनेक्टिविटी पर कोई अपडेट नहीं मिला है।

BSEDC से डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	557	• पुलिस थानों से हैंडहोल्डिंग संसाधनों के बाहर निकलने और IT कैडर के गठन में देरी के बाद पुलिस थानों के सामने आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक पुलिस थानों और उच्च कार्यालयों में 01 डाटा इन्ट्री ऑपरेटर को लम्बी अवधि के लिए बेल्ट्रॉन से उपलब्ध कराया जा रहा है जब तक बिहार पुलिस में IT कैडर का गठन नहीं हो जाता और हमारे पुलिस कर्मी स्वतंत्र रूप पुलिस थानों ने **CCTNS** को स्वतंत्र रूप से संचालित करने के लिए तैयार हो जाते हैं। • पुलिस कार्यालयों में डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों की तैनाती अंतिम चरण में हैं लेकिन कुछ डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों अभी तक पुलिस कार्यालयों में नहीं आयें हैं।
बेल्ट्रॉन से प्रोग्रामर	48	• बेल्ट्रॉन से जिलों को 48 प्रोग्रामर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है जिनमें से अधिकांश ने योगदान दे दिया है।

परिशिष्ट–V

सं0 6/वि0स0–01–04/2013–558/गृ0आ0

बिहार सरकार

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

प्रेषक

ब्रजेश कुमार सिन्हा,
उप–निदेशक।

सेवा में

उप–सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना।

पटना, दिनांक 18 जनवरी, 2019 (ई0)।

विषय—श्री अवधेश कुमार राय, स0वि0स0 के तारांकित प्रश्न सं0 (ए–3) से उत्पन्न आश्वासन सं0–173/13 का कार्यान्वयन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक 4725, दिनांक 15 जून, 2016 के प्रसंग में कहना है कि पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना का पत्रांक 23/405766/वि0मं0, दिनांक 11 जनवरी, 2019 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बेगूसराय जिला के भगवानपुर थाना का निर्माण कार्य पूर्ण कराते हुये भवन हस्तानांतरित कर दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि श्री अवधेश कुमार राय, स0वि0स0 के तारांकित प्रश्न सं0–ए–3 से उत्पन्न आश्वासन सं0 173/13 को विलोपित करने की कृपा की जाय ।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ब्रजेश कुमार सिन्हा,
उप–निदेशक।

परिशिष्ट–VI

सं0 सी/एक्यू0–4408/2013–6400

बिहार सरकार

गृह विभाग

(विशेष शाखा)

प्रेषक

अनिमेश पाण्डेय,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में

अवर–सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 23 जून, 2022 (ई0)।

विषय—श्री अम्बिका सिंह, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक 25 फरवरी, 2013 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या (ए–58) के सिलसिले में प्राप्त आश्वासन सं0 198/13 के कार्यान्वयन के संबंध में।

प्रसंग—बिहार विधान सभा सचिवालय का ज्ञापांक 198, दिनांक 08 मार्च, 2013 ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके प्रासंगिक पत्र के माध्यम से प्राप्त आश्वासन सं0–198/13 के संबंध में प्रतिवेदित करना है कि कैमूर जिलान्तर्गत दुर्गावती प्रखंड के बिछिया कब्रिस्तान, अशोगा कब्रिस्तान एवं नुआँव प्रखंड के भृगनपुर कब्रिस्तान की घेराबन्दी पूर्ण है।

प्रखंड दुर्गावती के सरैया तथा महमूदगंज कब्रिस्तान प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है।

कब्रिस्तानों की घेराबंदी के लिए जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है और उसी क्रमबद्ध ढंग से घेराबंदी कराये जाने की नीति है।

अतः विषयांकित आश्वासन को लंबित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाए ।

विश्वासभाजन,
अनिमेश पाण्डेय,
सरकार के संयुक्त सचिव।

परिशिष्ट–VII

सं0 सी0/ए0क्यू0–4424/2013–6390

बिहार सरकार

गृह विभाग

(विशेष शाखा)

प्रेषक

अनिमेश पाण्डेय,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में

अवर–सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 23 जून, 2022 (ई0)।

विषय—श्री प्रदीप कुमार, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक 04 मार्च, 2013 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या (ए–110) के सिलसिले में प्राप्त आश्वासन सं0 290/13 के कार्यान्वयन के संबंध में ।

प्रसंग—बिहार विधान सभा सचिवालय का ज्ञापांक 290, दिनांक 13 मार्च, 2013 ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके प्रासंगिक पत्र के माध्यम से प्राप्त आश्वासन सं0 290/13 के संबंध में प्रतिवेदित करना है कि नवादा जिलान्तर्गत काशीचक प्रखंड में उपरावाँ कब्रिस्तान के नाम से भूमि नहीं है तथा भट्टा कब्रिस्तान की घेराबन्दी पूर्ण है।

अतः विषयांकित आश्वासन को लंबित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन,
अनिमेश पाण्डेय,
सरकार के संयुक्त सचिव।

परिशिष्ट–VIII

सं0 सी0/ए0क्यू0–4406/2014–6389

बिहार सरकार

गृह विभाग

(विशेष शाखा)

प्रेषक

अनिमेश पाण्डेय,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में

अवर–सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 23 जून, 2022 (ई0)।

विषय—श्री अम्बिका सिंह, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक 17 फरवरी, 2014 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ए–03 के सिलसिले में प्राप्त आश्वासन सं0 06/14 के कार्यान्वयन के संबंध में ।

प्रसंग—बिहार विधान सभा सचिवालय का पत्रांक 06, दिनांक 25 अप्रील, 2014 ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके प्रासंगिक पत्र के माध्यम से प्राप्त आश्वासन सं0 06/14 के संबंध में प्रतिवेदित करना है कि कैमूर जिलान्तर्गत दुर्गावती प्रखंड के बिछिया, डुमरी एवं नुआँव प्रखंड के भृगनपुर में अवस्थित कब्रिस्तान की घेराबन्दी पूर्ण है।

प्रखंड दुर्गावती के सरैया, महमूदगंज, चहरिया (तकिया) तथा मंसूरपुर में अवस्थित कब्रिस्तान प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है।

कब्रिस्तानों की घेराबंदी के लिए जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है और उसी क्रमबद्ध ढंग से घेराबंदी कराये जाने की नीति है।

अतः विषयांकित आश्वासन को लंबित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाए ।

विश्वासभाजन,
अनिमेश पाण्डेय,
सरकार के संयुक्त सचिव।

परिशिष्ट–IX

सं0 6/वि0स0–01–04/2014–6526/गृ0आ0

बिहार सरकार

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

प्रेषक

ब्रजेश कुमार सिन्हा,
उप–निदेशक।

सेवा में

अवर–सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय,
पटना।

पटना, दिनांक 04 जुलाई, 2022 (ई0)।

विषय—श्री प्रदीप कुमार, माननीय स0वि0स0 के तारांकित प्रश्न सं0 19 (ए–14) से उत्पन्न सरकारी आश्वासन सं0 12/14 का उत्तर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि श्री प्रदीप कुमार, माननीय स0वि0स0 के तारांकित प्रश्न सं0 19 (ए–14) से उत्पन्न सरकारी आश्वासन सं0 12/14 के आलोक में बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना से कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। उक्त कार्यान्वयन प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है (छायाप्रति संलग्न) कि नवादा जिलान्तर्गत शाहरपुर मॉडल थाना भवन, ओ0पी0 एवं आउट हाउस का विद्युतीकरण सहित निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है एवं हस्तान्तरित भी हो गया है।

अतः अनुरोध है कि श्री प्रदीप कुमार, माननीय स0वि0स0 के तारांकित प्रश्न सं0–19 (ए–14) से उत्पन्न सरकारी आश्वासन सं0 12/14 को विलोपित कराने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ब्रजेश कुमार सिन्हा,
उप–निदेशक।

सं0–Mise-1/2254/HQ-1740(अनु0)

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम

(बिहार सरकार का उपक्रम)

सेवा में

पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 21 जून, 2022 (ई0)।

विषय—श्री प्रदीप कुमार, माननीय स0वि0स0 द्वारा प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या (ए–14) से उत्पन्न आश्वासन संख्या 12/14 का कार्यान्वयन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग—बिहार पुलिस मुख्यालय (कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग), बिहार, पटना का ज्ञापांक वि0मं0/41–4–23–2014/878, पटना, दिनांक 27 मई, 2022 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के सन्दर्भ में निदेशानुसार कहना है कि श्री प्रदीप कुमार, माननीय स0वि0स0 द्वारा प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या (ए–14) के उत्पन्न आश्वासन संख्या 12/14 का कार्यान्वयन प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

अनु0:–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
सोहैल अख्तर,
मुख्य अभियन्ता।

श्री प्रदीप कुमार, माननीय स0वि0स0 द्वारा प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या (ए–14) से उत्पन्न आश्वासन संख्या 12 / 14 का कार्यान्वयन प्रतिवेदन—

प्रश्न

नवादा जिलान्तर्गत शाहपुर ओ0पी0 भवन का पुनर्निर्माण कराने से संबंधित है।

उत्तर

नवादा जिलान्तर्गत शाहपुर मॉडल थाना भवन, ओ0 पी0 एवं आउट हाउस का विद्युतीकरण सहित निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है एवं हस्तानान्तरित भी हो गया है।

परिशिष्ट–X

सं0 2/वि0स0–10–157/2016–2700–गृ0आ0

बिहार सरकार

गृह विभाग

आरक्षी शाखा

प्रेषक

ब्रजेश कुमार सिन्हा,
उप–निदेशक।

सेवा में

अवर–सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय,
पटना।

पटना, दिनांक 15 मार्च, 2022 (ई0)।

विषय—श्री अरूण शंकर प्रसाद, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त आश्वासन सं0 136/14 का कार्यान्वयन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि सरकार आश्वासन संख्या 136/14 के आलोक में बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना का पत्रांक 1180, दिनांक 26 नवम्बर, 2021 द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। उक्त कार्यान्वयन प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है (छायाप्रति संलग्न) कि सी0सी0टी0एन0एस0 परियोजना के अन्तर्गत राज्य के सभी थानों एवं जिलों को आपस में जोड़ा गया है। इसी क्रम में पटना और भागलपुर जिला के सभी थाना और पुलिस कार्यालयों को एक दूसरे से जोड़ा गया है।

अतः अनुरोध है कि श्री अरूण शंकर प्रसाद, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त आश्वासन सं0 136/14 को विलोपित कराने की कृपा की जाय ।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ब्रजेश कुमार सिन्हा,
उप–निदेशक ।

सं0 वि0मं0/41-4-4-2015/1180

बिहार पुलिस मुख्यालय

(कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग)

प्रेषक

अपर पुलिस महानिदेशक (बजट/अपील/कल्याण),
बिहार, पटना।

सेवा में

श्री ब्रजेश कुमार सिन्हा,
उप-निदेशक,
गृह विभाग (आरक्षी शाखा),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 26 नवम्बर, 2021 (ई0)।

प्रसंग—गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना का पत्र सं0 2/5998, दिनांक 17 सितम्बर, 2020।

विषय—श्री अरूण शंकर प्रसाद, माननीय स0वि0स0 एवं अन्य से प्राप्त ध्यानाकर्षण से उत्पन्न आश्वासन सं0 136/14 एवं श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त आश्वासन सं0 743/12 का कार्यान्वयन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में कहना है कि श्री अरूण शंकर प्रसाद, माननीय स0वि0स0 एवं अन्य से प्राप्त ध्यानाकर्षण से उत्पन्न आश्वासन सं0 136/14 एवं श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त आश्वासन सं0 743/12 का अनुपालन प्रतिवेदन एस0सी0आर0बी0 एवं आधुनिकीकरण, बिहार, पटना का पत्रांक 1414/SCRB, दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। प्राप्त प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि सी0सी0टी0एन0एस0 परियोजना के अन्तर्गत राज्य के सभी थानों एवं जिलों को आपस में जोड़ा गया है। इसी क्रम में पटना और भागलपुर जिला के सभी थाना और पुलिस कार्यालयों को एक दूसरे से जोड़ा गया है।

अनु0-यथोपरि।

विश्वासभाजन,
(ह0) अस्पष्ट,
पुलिस महानिदेशक (बजट/अपील/कल्याण),
बिहार, पटना।

पत्रांक–1414/SCRB

बिहार पुलिस मुख्यालय

(आधुनिकीकरण, अपराध अभिलेख एवं प्रोविजन प्रभाग)

प्रेषक

डॉ0 कमल किशोर सिंह, (भा0पु0से0),
अपर पुलिस महानिदेशक,
एस0सी0आर0बी0 एवं आधुनिकीकरण–सह–
नोडल पदाधिकारी CCTNS, बिहार, पटना।

सेवा में

अपर पुलिस महानिदेशक (बजट, अपील एवं कल्याण),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 (ई0)।

प्रसंग—पुलिस मुख्यालय का पत्रांक 23 वि0मं0, दिनांक 08 जनवरी, 2021 ।

विषय—श्री अरूण शंकर प्रसाद, स0वि0स0 एवं अन्य से प्राप्त ध्यानाकर्षण से उत्पन्न आश्वासन सं0 136/14 एवं श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह से प्राप्त आश्वासन सं0 743/12 का कार्यान्वयन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के संदर्भ में कहना है कि सी0सी0टी0एन0एस0 परियोजना के अन्तर्गत राज्य के सभी थाने एवं जिलों को आपस में जोड़ा गया है। इसी क्रम मे पटना और भागलपुर जिला के सभी थाना और पुलिस कार्यालयों को एक दूसरे से जोड़ा गया है। इसी क्रम में थानों को न्यायालय से भी जोड़ा गया है। सी0सी0टी0एन0एस0 का विस्तृत प्रतिवेदन एनेक्चर ए (01 पृष्ठ) तथा अद्यतन स्थिति 04 पृष्ठ में संलग्न है।

अनुलग्नक—यथोपरि।

विश्वासभाजन,
कमल किशोर सिंह,
अपर पुलिस महानिदेशक।

Annexure- "A"
CCTNS Project की वर्तमान स्थिति

बिहार राज्य के सभी 894 पुलिस थानें जो CCTNS Project के अन्तर्गत आच्छादित है, उन्हे CCTNS के वर्तमान Software के माध्यम से क्रियाशील बनाया जा चुका है तथा इनमें से अधिकांश पुलिस थानों में निर्बाध रूप से Station Diary, Case Diary, FIR, Charge Sheet, UD प्रविष्टि, गुमशुदा व्यक्तियों की जानकारी एवं गिरफ्तारी मेमो आदि की Online Entry की जा रही है। CCTNS के डाटा को ICJS के माध्यम ये Real Time में न्यायालयों के साथ साझा भी किया जा रहा है।

(2) पुलिस थानों के अतिरिक्त 380 में से 222 वरीय कार्यालय भी CCTNS Network से जुडे हुए हैं, जिसके द्वारा जिला के वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक Dash Board इस्तेमाल कर रहे हैं।

(3) 381 पुलिस थानों मे Hardware के लिए STIC दिनांक 15 जुलाई, 2021 को आयोजित किया गया था और इन शेष थानों के लिए जहाँ Hardware क्रियाशील नहीं है, परन्तु थानों द्वारा Online Entry मौजूदा Hardware के पूनर्आवंटन के द्वारा किया जा रहा है, इन थानों मे भी जल्द ही Hardware आपूर्ति तथा क्रियान्वयन संभावित है।

(4) Data Centre एवं Disaster Recovery Centre को CCTNS के मौजूदा Software के द्वारा क्रियाशील कर दिया गया है। M/s TCS के अनुसार पचास लाख से अधिक पृष्ठों के पुलिस अभिलेखों Digitized हो चुके हैं और इनकी प्रविष्टि प्रक्रियाधीन है। इसे Verification के पश्चात् Data को CCTNS Database में स्थानान्तरित कर दिया जायेगा। विशिष्ट परियोजना प्रगति प्रतिवेदन इस पत्र के साथ Annexure-'AI' के रूप में संलग्न है।

(5) दिनांक 24 सितम्बर, 2021 तक Online प्रविष्टि किये गये पुलिस अभिलेखों की श्रेणीवार विवरणी निम्नांकित तालिका में दी गई है:–

Sr. No	Type of Police Records	Number of Online entries of Records.
1	Station Diaries	7414044
2	FIRs	222497
3	Arrest Memos	31382
4	Case Diaries	226501
5	Propertie recovered	28874
6	Chargesheets	21421
7	Unnatural Deaths (UDs)	8221
8	Investigation Visits	16866
9	Final Reports	5766
10	Property Stolen Applications	3321
11	Missing Persons	475

परिशिष्ट – ए1 परियोजना की प्रगति की विस्तृत स्थिति दिनांक 30.09.2021
(सी0सी0टी0एन0एस0, बिहार)

कार्यालयों का प्रकार/ गतिविधि	कार्यालयों की संख्या	संचालित कार्यालयों की संख्या	संचालन लंबित कार्यालयों की संख्या	अभ्युक्ति
पुलिस थानों	894	894	0	• कुल 894 पुलिस थानों के अन्तर्गत CCTNS परियोजना क्रियाशील है। वर्तमान में इनमें से अधिकांश पुलिस थानों द्वारा CCTNS प्रणाली में FIR, स्टेशन डायरी, केस डायरी, अप्राकृतिक मौत, गिरफ्तारी मेमो आदि सहित पुलिस अभिलेखों का निर्बाध ऑन लाईन प्रविष्टियाँ करना शुरू कर दिया है। • 381 पुलिस थानों के लिए हार्डवेयर आ चुके हैं और इन्हे शेष थानों पर स्थापित किया जा रहा है। • इसके अलावा इन पुलिस थानों के CCTNS के डाटा का ICJS के माध्यम से न्यायालयों के साथ समयोचित आदान–प्रदान किया जा रहा है।
उच्च कार्यालय	380	222	158	• मेसर्स TCS द्वारा सभी 380 उच्च कार्यालयों में हार्डवेयर वितरित किया गया है। वर्तमान में, 380 उच्च कार्यालयों में से 222 उच्च कार्यालय ने ऑनलाईन कार्य से संचालन कर निगरानी कर रहे है। • 44 जिला के वरीय पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक (रेल सहित) कार्यालयों में से अधिकांश ने अपने संबंधित जिलों के डैशबोर्ड और अपराध रिकॉर्ड access करना शुरू कर दिया है। • शेष उच्च कार्यालयों में साईट तैयार करने का कार्य अग्रिम चरण में है। साईट की तैयारी पूरी होते ही ये शेष उच्च कार्यालयों भी चालू हो जायेंगे।
डाटा सेन्टर		1		• BRAIN- DC में डाटा सेन्टर को चालू कर दिया गया है।
आपदा रिकवरी केन्द्र		1		• NDC, भुवनेश्वर में Data Recovery Centre को चालू कर दिया गया है।

डाटा डिजिटाईजेशन	10 साल का पुलिस अभिलेखों			• जिलों में डाटा डिजीटाईज़ेशन का कार्य प्रगति पर है। जैसा कि मेसर्स TCS द्वारा सूचित किया गया है, वर्तमान में लगभग 50 लाख डिजीटल पृष्ठों वाला 1 लाख से अधिक केस फाईलों की डाटा स्कैनिंग की गयी है। • एक बार डिजीटाईड डाटा की गुणवता की जांच की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद, डिजीटल डाटा को CCNTS सिस्टम में स्थापित कर दिया जायेगा।
प्रशिक्षण / हैंडहोल्डिंग				• अधिकांश पुलिस थानों में छः महीने की निर्धारित अवधि के लिए हैण्डहोलडिंग संसाधन दिया गया है। • इसके अलावा मेसर्स TCS द्वारा हैंडहोलडिंग संसाधन से हैंडहोलडिंग –सह– प्रशिक्षण अब दो महीने की अवधि के दौरान पुलिस थानों में हमारे पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। • इसके अलावा, पुलिस कर्मियों का प्रशिक्षण बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर में भी आयोजित किया जा रहा है। • परिणामस्वरूप, अधिकांश पुलिस थानों, सीसीटीएनएस के उपयोग के मामलें में परिपक्वता की ओर बढ़ रहे हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि पुलिस कर्मी पुलिस अभिलेख की ऑनलाईन प्रविष्टियों के साथ स्वतंत्र रूप से पुलिस थानों को संचालित करने में सक्षम हो गए हैं। • साथ ही, मेसर्स TCS को अनुबंध की आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण से संबंधित सभी गतिविधियों को पूरा करने का निर्देश दिया गया है। • मेसर्स TCS द्वारा विशेष WebEX सत्र जिला वरीय पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक के लिए आयोजित किये गये थे। • थानाध्यक्षों के लिए प्रति सप्ताह 2–3 WebEX सत्र भी आयोजित किये जा रहे हैं।
प्रशिक्षण केन्द	5	2	3	• मेसर्स TCS द्वारा 02 प्रशिक्षण केन्द्रों (RTC पटना और बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर) को स्थापित किये गये हैं। परियोजना के तहत 05 प्रशिक्षण केन्द्र (04 RTC और 01 बिहार पुलिस अकादमी) स्थापित किये जाने हैं, जबकि शेष 03 RTC पर कार्य प्रगति पर है।

				• शेष 03 प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए स्थानों की पहचान की गयी है और जिला पुलिस अधीक्षक इन स्थानों पर साईट की तैयारी कर रहे हैं। हलांकि, मेसर्स TCS ने सूचित किया है कि हलांकि उन्हें प्रशिक्षण केन्द्र के लिए जगह मिल गयी है, लेकिन सरकार द्वारा कोविद –19 के मद्येनजर लगाये गये लॉक डाउन के कारण प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना से संबंधित गतिविधियों को रोका गया था । • अब इन प्रशिक्षण केन्द्रों को चालू कर प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध कराया जायेगा।
स्थल तैयारी	1274	1130 (513+617)	144	• BPBPC के अनुसार पहले चरण के तहत 513 पुलिस थानों में साईट तैयार करने का काम पहले ही पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा BPBCC ने हाल ही में (15.09.21) पुष्टि की है कि चरण–2 में 760 पुलिस कार्यालयों में से 623 में साईट की तैयारी भी पूरी हो चुकी है।
नेटवर्क कनेक्टिविटी	1274	1014	260	• अधिकांश पुलिस को BSWAN 2.0 के माध्यम से नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान की गयी है। • इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि नेटवर्क कनेक्टिविटी पुलिस थानों के लिए एक चुनौती है क्योंकि अबाधित नेटवर्क कनेक्टिविटी सुनिश्चित नहीं की जा रही है। • नेटवर्क कनेक्टिविटी पर नवीनतम अपडेट BSEDC से मांगा गया है। हलांकि हमारे पास अभीतक BSEDC ने नेटवर्क कनेक्टिविटी पर कोई अपडेट नहीं मिला है।

BSEDC से डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	557	• पुलिस थानों से हैंडहोल्डिंग संसाधनों के बाहर निकलने और IT कैडर के गठन में देरी के बाद पुलिस थानों के सामने आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक पुलिस थानों और उच्च कार्यालयों में 01 डाटा इन्ट्री ऑपरेटर को लम्बी अवधि के लिए बेल्ट्रॉन से उपलब्ध कराया जा रहा है जब तक बिहार पुलिस में IT कैडर का गठन नहीं हो जाता और हमारे पुलिस कर्मी स्वतंत्र रूप पुलिस थानों में **CCTNS** को स्वतंत्र रूप से संचालित करने के लिए तैयार हो जाते हैं। • पुलिस कार्यालयों में डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों की तैनाती अंतिम चरण में है लेकिन कुछ डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों अभी तक पुलिस कार्यालयों में नहीं आयें हैं।
बेल्ट्रॉन से प्रोग्रामर	48	• बेल्ट्रॉन से जिलों को 48 प्रोग्रामर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है जिनमें से अधिकांश ने योगदान दे दिया है।

परिशिष्ट–XI

सं0 3/वि0स0–50–84/2021–10095/गृ0आ0

बिहार सरकार

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

प्रेषक

गिरीश मोहन ठाकुर,
सरकार के अवर–सचिव।

सेवा में

उप–सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय,
पटना।

पटना, दिनांक 13 दिसम्बर, 2021 (ई0)।

विषय—श्री कुमार शैलेन्द्र, माननीय स0वि0स0 के गै0स0 संकल्प से उत्पन्न आश्वासन सं0 613/14 के कार्यान्वयन प्रतिवेदन के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि श्री कुमार शैलेन्द्र, माननीय स0वि0स0 के गैर–सरकारी संकल्प से उत्पन्न आश्वासन सं0 613/14 पर पुलिस मुख्यालय से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है।

प्रतिवेदन के अनुसार भागलपुर जिलान्तर्गत विक्रमशीला सेतु को जाम से मुक्त रखने हेतु 05 पुलिस पदाधिकारी एवं 16 पुलिसकर्मी प्रतिनियुक्त हैं जिनके द्वारा तीन पालियों में उक्त पुल को जाम से मुक्त रखने का प्रयास किया जा रहा है। यातायात नियमों के उल्लंघन करने के आरोप में वाहन चालकों/मालिकों से मोटरयान अधिनियम के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत रु0 1,90,58,913/– (एक करोड़ नब्बे लाख अन्ठावन हजार नौ सौ तेरह) रूपये शमन की राशि वसूल की गयी है।

अनुरोध है कि वर्णित तथ्यों के आलोक में आश्वासन सं0 613/14 को क्रियान्वित कराते हुए लंबित आश्वासन की सूची से विलोपित कराने की कृपा की जाए ।

विश्वासभाजन,
गिरीश मोहन ठाकुर,
सरकार के अवर–सचिव।

परिशिष्ट–XII

सं0 6/वि0स0–01–16/2015–2699/गृ0आ0

बिहार सरकार

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

प्रेषक

ब्रजेश कुमार सिन्हा,
उप–निदेशक।

सेवा में

अवर–सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय,
पटना।

पटना, दिनांक 15 मार्च, 2022 (ई0)।

विषय—श्री मनीष कुमार, माननीय स0वि0स0 के तारांकित प्रश्न सं0 667 (ए–64) से उद्भूत सरकारी आश्वासन सं0 114/15 का कार्यान्वयन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि सरकारी आश्वासन संख्या 114/15 के संदर्भ में बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना का पत्रांक–48, दिनांक 17 जनवरी, 2022 द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। उक्त कार्यान्वयन प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है (छायाप्रति संलग्न) कि बाँका जिलान्तर्गत धनकुण्ड थाना भवन राज्य योजना वर्ष 2018–19 के तहत नये नक्सल थाना भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया गया है। धनकुण्ड थाना नये भवन में कार्यरत है। उक्त थाना में पदस्थापित पुलिस कर्मियों के आवासन की व्यवस्था नये थाना भवन के साथ ही किया गया है। पुलिस अधीक्षक, बाँका के पत्र सं0 807, दिनांक 15 जून, 2021 के द्वारा उक्त थाना भवन हस्तान्तरित है।

अतः अनुरोध है कि श्री मनीष कुमार, माननीय स0वि0स0 के तारांकित प्रश्न सं0 667 (ए–64) से उद्भूत सरकारी आश्वासन सं0 114/15 को विलोपित कराने की कृपा की जाय ।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ब्रजेश कुमार सिन्हा,
उप–निदेशक ।

संo विoमंo / 41–4–77–2015 / 48
बिहार पुलिस मुख्यालय
(कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग)

प्रेषक

अपर पुलिस महानिदेशक (बजट / अपील / कल्याण),
बिहार, पटना।

सेवा में

श्री ब्रजेश कुमार सिन्हा,
उप–निदेशक,
गृह विभाग (आरक्षी शाखा),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 17 जनवरी, 2022 (ई0)।

प्रसंग—गृह (आरक्षी), विभाग का पत्र सं0 06 / 7309, दिनांक 16 अक्टूबर, 2020 ।

विषय—श्री मनीष कुमार, माननीय स0वि0स0 के तारांकित प्रश्न सं0 (ए 64) से उद्भूत आश्वासन संख्या 114 / 15 का कार्यान्वयन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि आश्वासन सं0 114 / 15 का कार्यान्वयन प्रतिवेदन बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना का पत्र सं0 4008(अनु0), दिनांक 27 दिसम्बर, 2021 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा प्राप्त हुआ है। प्राप्त प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि बाँका जिलान्तर्गत धनकुण्ड थाना भवन राज्य योजना वर्ष 2018–19 के तहत नये नक्सल थाना भवन का निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया गया है। धनकुण्ड थाना नये भवन में कार्यरत है। उक्त थाना में पदस्थापित पुलिस कर्मियों के आवासन की व्यवस्था नये थाना भवन के साथ ही किया गया है। पुलिस अधीक्षक, बाँका के पत्र संख्या 807 / सा0शा0(अनु0), दिनांक 15 जून, 2021 के द्वारा उक्त थाना भवन हस्तानान्तरित है।

अनु0–यथोपरि।

विश्वासभाजन,
(ह0) अस्पष्ट,
पुलिस महानिदेशक (बजट / अपील / कल्याण),
बिहार, पटना।

सं0–Mise-1/1547/HQ-4008(अनु0)
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम
(बिहार सरकार का उपक्रम)

सेवा में

पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 27 दिसम्बर, 2021 (ई0)।

विषय—श्री मनीष कुमार, माननीय स0वि0स0 के तारांकित प्रश्न सं0 (ए–64) से उद्भूत आश्वासन सं0 114/15 का कार्यान्वयन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग—बिहार पुलिस मुख्यालय (कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग), बिहार, पटना का पत्रांक–वि0म0 /41–4–77–2015/1101, पटना दिनांक 06 नवम्बर, 2020

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के सन्दर्भ में कहना है कि मनीष कुमार, माननीय स0वि0स0 के तारांकित प्रश्न सं0 (ए–64) से उद्भूत आश्वासन सं0 114/15 का कार्यान्वयन प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है।

अनु0:–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
सोहैल अख्तर,
मुख्य अभियन्ता।

श्री मनीष कुमार, माननीय स0वि0स0 के तारांकित प्रश्न संख्या (ए–64) से उद्भूत आश्वासन संख्या 114/15 का कार्यान्वियन प्रतिवेदन।—

आश्वासन

(1) क्या यह बात सही है कि बाँका जिलान्तर्गत धनकुण्ड ओ0 पी0 भवनहीन होने के कारण धनकुण्डनाथ मंदिर परिसर में कार्यरत है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बाँका जिलान्तर्गत धनकुण्ड ओ0 पी0 में पदस्थापित पुलिस कर्मियों के लिये आवासन की व्यवस्था नहीं है।

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार धनकुण्ड ओ0 पी0 को अपना भवन तथा इसमें पदस्थापित पुलिस कर्मियों के लिये आवसन की सुविधा मुहैया कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य योजना वर्ष 2018–19 के तहत नये नक्सल थाना भवन का निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया गया है। धनकुण्ड थाना नये भवन में कार्यरत है।

(2) उक्त थाना में पदस्थापित पुलिस कर्मियों के आवासन की व्यवस्था नये थाना भवन के साथ ही किया गया है।

(3) पुलिस अधीक्षक, बाँका के पत्र संख्या 807/सा0शा0 (अनु0), दिनांक 15 जून, 2021 के द्वारा उक्त थाना भवन हस्तानान्तरित है।

परिशिष्ट–XIII

सं0 2/वि0स0–10–151/2016–3055/गृ0आ0

बिहार सरकार

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

प्रेषक

सुधांशु कुमार चौबे,
सरकार के उप–सचिव।

सेवा में

उप–सचिव,
बिहार विधान सभा,
पटना।

पटना, दिनांक 23 मार्च, 2022 (ई0)।

विषय—दिनांक 30 मार्च, 2015 को सदन में श्री अच्युतानंद स0वि0स0 के तारांकित प्रश्न सं0 686 (ए0–52) पर सरकारी उत्तर में सन्निहित आश्वासन सं0 119/15 के संबंध में ।

प्रसंग—बिहार विधान सभा सचिवालय का ज्ञाप सं0 119, दिनांक 28 अप्रील, 2015 ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के प्रसंग में पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना के पत्रांक 46, दिनांक 17 जनवरी, 2022 की छायाप्रति (अनुलग्नक सहित) संलग्न किया जा रहा है। प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया है कि वैशाली जिलान्तर्गत महनार थानान्तर्गत प्रस्तावित नाका लावापुर थाना से मात्र 03 कि0मी0 पर अवस्थित है एवं स्टेशन रोड 02 कि0मी0 पर अवस्थित है। प्रस्तावित नाका के भौगोलिक स्थिति को देखते हुए नाका की स्थापना का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुरोध है कि उक्त आश्वासन को लंबित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाय ।

अनु0:–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
सुधांशु कुमार चौबे,
सरकार के उप–सचिव।

पत्रांक–725/सा०शा०

पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, वैशाली

प्रेषित

पुलिस अधीक्षक,
वैशाली।

सेवा में

पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण),
बिहार, पटना।

हाजीपुर, दिनांक 17 दिसम्बर, 2021 (ई०)।

प्रसंग—भवदीय के कार्यालय का ज्ञापांक संख्या वि०मं०/41–4–83/2019/937, पटना दिनांक 24 सितम्बर, 2021 ।

विषय—श्री अच्युतानंद, माननीय स०वि०स० द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न सं० (ए–52) से उत्पन्न आश्वासन संख्या 119/15 का कार्यान्वयन प्रतिवेदन भेजने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के संदर्भ में कहना है कि भवदीय के कार्यालय का ज्ञापांक संख्या वि०मं०/41–4–83/2019/937, पटना, दिनांक 24 सितम्बर, 2021 के द्वारा माननीय श्री अच्युतानंद, माननीय स०वि०स० द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न सं० (ए–52) से उत्पन्न आश्वासन संख्या 119/15 का कार्यान्वयन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में निर्देश प्राप्त हुआ है, जिसे भवदीय को सादर अवलोकनार्थ भेजी जा रही है।

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
01.	वैशाली जिलान्तर्गत महनार थानान्तर्गत महनार के लावापुर और स्टेशन रोड में एक–एक नाका की स्थापना करने के संबंध में ।	वैशाली जिला के महनार थानान्तर्गत प्रस्तावित नाका लावापुर थाना से मात्र (03) तीन किलो मीटर पर अवस्थित है एवं स्टेशन रोड (02) दो किलो मीटर पर अवस्थित है। प्रस्तावित नाका के भौगोलिक स्थिति देखते हुए नाका की कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

विश्वासभाजन,
(ह०) अस्पष्ट,
पुलिस अधीक्षक,
वैशाली ।

सं0 वि0 मं0/41-4-416/2016-46
बिहार पुलिस मुख्यालय
(कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग)

प्रेषक

अपर पुलिस महानिदेशक (बजट/अपील/कल्याण),
बिहार, पटना।

सेवा में

श्री सुधांशु कुमार चौबे।
सरकार के उप-सचिव,
गृह विभाग (आरक्षी शाखा),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 17 जनवरी, 2022 (ई0)।

प्रसंग—आपका पत्र सं0 02/7974, दिनांक 24 सितम्बर, 2019 ।

विषय—श्री अच्युतानंद, माननीय स0वि0स0 द्वारा प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0 (ए-52) से उत्पन्न आश्वासन संख्या 119/15 का कार्यान्वयन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि श्री अच्युतानंद, माननीय स0वि0स0 द्वारा प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0 (ए-52) से उत्पन्न आश्वासन संख्या 119/15 का कार्यान्वयन प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक, वैशाली का पत्रांक-725/सा0शा0, दिनांक 17 दिसम्बर, 2021 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। प्राप्त प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि वैशाली जिलान्तर्गत महनार थानान्तर्गत प्रस्तावित नाका लावापुर थाना से मात्र 03 कि0मी0 पर अवस्थित है एवं स्टेशन रोड 02 कि0मी0 पर अवस्थित है। प्रस्तावित नाका को भौगोलिक स्थिति देखते हुए नाका की स्थापना का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

अनु0-यथोपरि ।

विश्वासभाजन,
(ह0) अस्पष्ट,
अपर पुलिस महानिदेशक (बजट/अपील/कल्याण),
बिहार, पटना ।

परिशिष्ट–XIV

सं0 6/वि0स0–01–40/2015–10402/गृ0आ0

बिहार सरकार

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

प्रेषक

ब्रजेश कुमार सिन्हा,
उप–निदेशक ।

सेवा में

उप–सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय,
पटना।

पटना, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 (ई0)।

विषय—श्री विजय कुमार सिन्हा, माननीय स0वि0स0 के अल्पसूचित प्रश्न सं0 अ0सू0–5 से उद्भूत आश्वासन सं0 440/15 का कार्यान्वयन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि सरकारी आश्वासन संख्या 440/15 के आलोक में बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना से कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। उक्त कार्यान्वयन प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है (छायाप्रति संलग्न) कि सी0सी0टी0एन0एस0 परियोजना के अन्तर्गत राज्य के सभी थानों एवं जिलों को आपस में जोड़ा गया है। साथ ही थानों को न्यायालय से भी जोड़ा गया है।

अतः अनुरोध है कि श्री विजय कुमार सिन्हा, माननीय स0वि0स0 के अल्पसूतिच प्रश्न सं0 अ0सू0–5 से उद्भूत आश्वासन सं0 440/15 को विलोपित कराने की कृपा की जाय ।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ब्रजेश कुमार सिन्हा,
उप–निदेशक।

परिशिष्ट–XV

सं0 6/वि0स0–01–05/2016–6151/गृ0आ0

बिहार सरकार

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

प्रेषक

ब्रजेश कुमार सिन्हा,
उप–निदेशक।

सेवा में

अवर–सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय,
पटना।

पटना, दिनांक 23 जून, 2022 (ई0)।

विषय—श्री कुमार सर्वजीत, माननीय स0वि0स0 के तारांकित प्रश्न सं0 (ए–23) से उद्भूत आश्वासन सं0 40/16 का कार्यान्वयन प्रतिवेदन के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि सरकारी आश्वासन संख्या 40/16 के आलोक में बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना से कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। उक्त कार्यान्वयन प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है (छायाप्रति संलग्न) कि गया जिलान्तर्गत टनकुप्पा प्रखंड के टनकुप्पा थाना भवन का विद्युतीकरण सहित निर्माण कार्य को पूर्ण करा दिया गया है एवं हस्तानान्तरण भी कर दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि श्री कुमार सर्वजीत, माननीय स0वि0स0 के तारांकित प्रश्न सं0 (ए–23) से उद्भूत आश्वासन सं0 40/16 को विलोपित कराने की कृपा की जाय ।

अनु0–यथोक्त ।

विश्वासभाजन,
ब्रजेश कुमार सिन्हा,
उप–निदेशक।

परिशिष्ट–XVI

सं० सी/ए०क्यू०–4466/2016–6388

बिहार सरकार

गृह विभाग

(विशेष शाखा)

प्रेषक

अनिमेश पाण्डेय,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में

अवर–सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 23 जून, 2022 (ई०)।

विषय—श्री अशोक कुमार सिंह, मा० स०वि०स० द्वारा दिनांक 28 मार्च, 2016 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या (गृह–169) के सिलसिले में प्राप्त आश्वासन सं० 626/16 के कार्यान्वयन के संबंध में।

प्रसंग—बिहार विधान सभा सचिवालय का पत्रांक 2174–2177, दिनांक 15 दिसम्बर, 2016।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके प्रासंगिक पत्र के माध्यम से प्राप्त आश्वासन सं० 626/16 के संबंध में प्रतिवेदित करना है कि कैमूर जिलान्तर्गत नुऑव प्रखंड के बरूना एवं डुमरी के कब्रिस्तानों की घेराबन्दी वित्तीय वर्ष 2018–19 में पूर्ण करा दी गई है।

अतः विषयांकित आश्वासन को लंबित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन,
अनिमेश पाण्डेय,
सरकार के संयुक्त सचिव।

परिशिष्ट–XVII

सं0 सी/ए0क्यू0–4469/2016–7283

बिहार सरकार

गृह विभाग

(विशेष शाखा)

प्रेषक

अनिमेश पाण्डेय,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में

अवर–सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 12 जुलाई, 2022 (ई0)।

विषय—श्री नन्द कुमार राय, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक 28 मार्च, 2016 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या (गृह–207) के सिलसिले में प्राप्त आश्वासन सं0 1047/16 के कार्यान्वयन के संबंध में ।

प्रसंग—बिहार विधान सभा सचिवालय का पत्रांक 3858–3861, दिनांक 24 जनवरी, 2017

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके प्रासंगिक पत्र के माध्यम से प्राप्त आश्वासन सं0 1047/16 के संबंध में प्रतिवेदित करना है कि मुजफ्फरपुर जिला के मोतीपुर प्रखंड के पंचायत परसौनीनाथ के विशुनपुर एवं फुलवरिया में अवस्थित कब्रिस्तानों की घेराबन्दी का कार्य पूर्ण हो चुका है।

अतः विषयांकित आश्वासन को लंबित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाए ।

विश्वासभाजन,
अनिमेश पाण्डेय,
सरकार के संयुक्त सचिव।

परिशिष्ट–XVIII

सं0–बंदी / क्यू0–05–05 / 2016–3087

बिहार सरकार

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय

गृह विभाग (कारा)

प्रेषक

सहायक कारा महानिरीक्षक(क्षेत्र),
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना ।

सेवा में

अवर–सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 31 मार्च, 2022 (ई0)।

विषय—श्री सुदामा प्रसाद, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अनागत तारांकित प्रश्न संख्या (गृह–134), दिनांक 1 दिसम्बर, 2016 को सदन पटल पर रखे गये द्वितीय सत्र के (मुद्रित पुस्तिका से) उत्पन्न सरकारी आश्वासन सं0 1059 / 2016 का कार्यन्वयन प्रतिवेदन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में श्री सुदामा प्रसाद, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अनागत तारांकित प्रश्न संख्या (गृह–134), दिनांक 01 दिसम्बर, 2016 को सदन पटल पर रखे गये द्वितीय सत्र के (मुद्रित पुस्तिका से) उत्पन्न सरकारी आश्वासन सं0 1059 / 2016 का कार्यान्वयन प्रतिवेदन 10 प्रतियों में संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

अनु0:–यथोक्त (10 प्रति)।

विश्वासभाजन,
(ह0) अस्पष्ट,
सहायक कारा महानिरीक्षक(क्षेत्र),
बिहार, पटना।

अनागत तारांकित प्रश्न संख्या (गृह–134), दिनांक 01 दिसम्बर, 2016 को सदन पटल पर रखे गये द्वितीय सत्र के (मुद्रित पुस्तिका से) उत्पन्न सरकारी आश्वासन सं0 1059/2016 का कार्यान्वयन प्रतिवेदन ।

विषय—भोजपुर जिला के मंडल कारा में आजीवन कारावास की सजा परिहार सहित 20 वर्ष की सजा पूरा करने वाले कैदियों को रिहाई करने के संबंध में।

सरकारी आश्वासन

प्रभारी मंत्री—वस्तुस्थिति यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (क्रिमिनल) सं0 48/2014 यूनियन ऑफ इंडिया बनाम वी0 श्रीहरण उर्फ मुरूगन में दिनांक 09 जुलाई, 2014 को पारित न्यायादेश के आलोक में 'राज्य दण्डादेश परिहार पर्षद' की बैठक का आयोजन स्थगित रखा गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 23 जुलाई, 2015 को पारित न्यायादेश दिनांक 02 दिसम्बर, 2015 को पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में आजीवन सजा प्राप्त बंदियों के असमय कारा मुक्ति से संबंधित बिहार कारा हस्तक के प्रावधानों में संशोधन का कार्य प्रक्रियाधीन है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 02 दिसम्बर, 2015 को पारित उपर्युक्त आदेश के आलोक में बिहार कारा हस्तक, 2012 में संशोधन करने हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। इसके पश्चात् आजीवन सजा प्राप्त बंदियों के समय पूर्व रिहाई हेतु 'राज्य दण्डादेश परिहार पर्षद' की बैठक शीघ्र आहूत करने की कार्रवाई की जाएगी ।

कार्यान्वयन प्रतिवेदन

(1) आजीवन सजा प्राप्त बंदियों की समय पूर्व रिहाई हेतु गृह (विशेष) विभाग की अधिसूचना संख्या–3106 दिनांक 10 दिसम्बर, 2002 के आलोक गठित राज्य दंडादेश परिहार पर्षद द्वारा राज्य के काराओं में संसीमित आजीवन सजाप्राप्त बंदियों की समय पूर्व रिहाई नियमित रूप से नियमानुसार की जाती रही है। उक्त के क्रम में वाद संख्या–W.P (Crl)–48/2014 यूनियन ऑफ इंडिया बनाम वी0 श्रीहरण उर्फ मुरूगन एवं अन्य में दिनांक 9 जुलाई, 2014 को पारित न्यायादेश में आजीवन सजा प्राप्त बंदियों के परिहार देने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा राज्य सरकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसके आलोक में उक्त पर्षद की बैठक नहीं हो रही थी। पुनः उक्त वाद में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 23 जुलाई, 2015 एवं 02 दिसम्बर, 2015 को पारित संशोधित न्यायादेश के क्रम में विभागीय अधिसूचना संख्या 3194, दिनांक 26 मई, 2016 द्वारा (छायाप्रति संलग्न) बिहार कारा हस्तक, 2012 के सुसंगत प्रावधानों में संशोधन करते हुए राज्य दंडादेश परिहार पर्षद की बैठक दिनांक 29 जून, 2016, 8 जुलाई, 2016, 28 नवम्बर, 2016, 19 दिसम्बर, 2016, 24 जनवरी, 2017, 17 फरवरी, 2017, 7 अप्रील, 2017, 27 जुलाई, 2017, 5 अक्टूबर, 2017, 3 मई, 2018, 1 अगस्त, 2018, 28 नवम्बर, 2018, 14 मई, 2019, 21 जून, 2019, 21 अगस्त, 2019, 19 नवम्बर, 2019, 20 फरवरी, 2020, 3 अप्रील, 2020, 23 दिसम्बर, 2020, 19 मई, 2021, 27 अगस्त, 2021, 01 नवम्बर, 2021 एवं 9 मार्च, 2022 को आयोजित की गयी ।

(2) भोजपुर जिला के अन्तर्गत मंडल कारा, आरा में संसीमित आजीवन सजावार बंदियों 1. विन्देश्वरी कुमार, पे0–इन्द्र कुमार सिंह 2. श्री इन्द्र कुमार सिंह पे0–स्व0 बहादुर सिंह 3. राजेश्वर सिंह, पे0–स्व0 नगीना सिंह 4. छोटन दुसाध पे0–स्व0 भीम दुसाध 5. अशोक कुमार सिंह, पे0–भोला सिंह 6. मनोज कुमार सिंह, पे0–राम प्रवेश सिंह 7. रात प्रवेश सिंह, पे0–स्व0 राम इकबाल सिंह 8. बृजनंदन सिंह, पे0–स्व0 राम इकबाल सिंह राज्य दंडादेश परिहार पर्षद की अनुशंसा के आलोक में कारामुक्त हो चुके हैं।

(ह0) अस्पष्ट,
सहायक कारा महानिरीक्षक(क्षेत्र),
बिहार, पटना।

परिशिष्ट–XIX

सं0 सी/ए0क्यू0–44113/2017–7282

बिहार सरकार

गृह विभाग

(विशेष शाखा)

प्रेषक

अनिमेश पाण्डेय,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में

अवर–सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 12 जुलाई, 2022 (ई0)।

विषय—श्री केदार प्रसाद गुप्ता, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक 20 मार्च, 2017 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या (गृह–246) के सिलसिले में प्राप्त आश्वासन सं0 558/17 के कार्यान्वयन के संबंध में।

प्रसंग—बिहार विधान सभा सचिवालय का पत्रांक 2229–2232, दिनांक 3 जुलाई, 2017

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके प्रासंगिक पत्र के माध्यम से प्राप्त आश्वासन सं0 558/17 के संबंध में प्रतिवेदित करना हैं कि मुजफ्फरपुर जिला अन्तर्गत कुढ़नी प्रखंड के मनियारी कब्रिस्तान की घेराबन्दी का कार्य वर्ष 2016–17 में पूर्ण करा लिया गया है।

अतः विषयांकित आश्वासन को लंबित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन,
अनिमेश पाण्डेय,
सरकार के संयुक्त सचिव।

परिशिष्ट–XX

सं0 2/वि0स0–10–38/2017–6016/गृ0आ0

बिहार सरकार

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

प्रेषक

सुधांशु कुमार चौबे,
सरकार के उप–सचिव।

सेवा में

उप–सचिव,
बिहार विधान सभा,
पटना।

पटना, दिनांक 21 जून, 2022 (ई0)।

विषय—श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय "पप्पु", माननीय स0वि0स0 द्वारा प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या (गृह–229) से उत्पन्न आश्वासन सं0 574/17 का कार्यान्वयन के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय "पप्पु", माननीय स0वि0स0 द्वारा प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या (गृह–229) से उत्पन्न आश्वासन सं0 574/17 के कार्यान्वयन के संबंध में कहना है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत जनता बाजार पैतृक थाना कटेया से 20 कि0मी0 एवं निकटतम थाना गोपालपुर से 15 कि0मी0 की दूरी पर अवस्थित है। वर्तमान में इन दोनों थानों के बीच अवस्थित जनता बाजार में ओ0पी0 सृजन का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। सुलभ प्रसंग हेतु बिहार पुलिस मुख्यालय का पत्रांक 883, दिनांक 30 मई, 2022 की छायाप्रति संलग्न किया गया है।

अतः अनुरोध है कि कृपया उक्त पत्रों के आलोक में सरकारी आश्वासन सं0 574/17 को कार्यान्वित मानते हुए इसे आश्वासन की लंबित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाय ।

अनु0:–यथोक्त ।

विश्वासभाजन,
सुधांशु कुमार चौबे,
सरकार के उप–सचिव।

संo विo मंo/41-4-197/2017-883

बिहार पुलिस मुख्यालय

(कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग)

प्रेषक

अपर पुलिस महानिदेशक (बजट/अपील/कल्याण),
बिहार, पटना।

सेवा में

श्री गिरीश मोहन ठाकुर,
सरकार के अवर-सचिव,
गृह विभाग (आरक्षी शाखा),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 30 मई, 2022 (ई0)।

प्रसंग—गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना का पत्र सं0 02/8209, दिनाक 02.12.2020

विषय—श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय 'पप्पु', माननीय स0वि0स0 द्वारा प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या (गृह-229) से उत्पन्न आश्वासन सं0 574/17 का कार्यान्वयन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में कहना है कि श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय 'पप्पु' माननीय स0वि0स0 द्वारा प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या (गृह-229) से उत्पन्न आश्वासन सं0 574/17 का उत्तर प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक, गोपालगंज का पत्रांक 870/सा0शा0, दिनांक 06 मई, 2022 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा प्राप्त हुआ है। प्राप्त प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत जनता बाजार पैतृक थाना कटेया से 20 कि0मी0 एंव निकटतम थाना गोपालपुर से 15 कि0मी0 की दूरी पर अवस्थित है। वर्तमान में इन दोनों थानों के बीच अवस्थित जनता बाजार में ओ0पी0 सृजन का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

अनु0-यथोपरि ।

विश्वासभाजन,
(ह0) अस्पष्ट,
अपर पुलिस महानिदेशक (बजट/अपील/कल्याण),
बिहार, पटना ।

पत्रांक–870 / सा0शा0

पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, गोपालगंज

सेवा में

पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण),
बिहार, पटना।

गोपालगंज, दिनांक 06 मई, 2022 (ई0)।

प्रसंग—भवदीय का पत्र संख्या वि0मं0 / 41–4–83 / 2019 / 788, दिनांक 02 मई, 2022

विषय—श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय उर्फ पप्पु पाण्डेय, माननीय स0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित पत्र (गृह0–229) से उत्पन्न आश्वासन सं0 574 / 17 का कार्यान्वयन प्रतिवेदन भेजने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त प्रसंग एवं विषय के संदर्भ में सादर सूचित करना है कि भवदीय का पत्र संख्या–वि0मं0 / 41–4–83 / 2019 / 932, दिनांक 24 सितम्बर, 2021 के माध्यम से श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय उर्फ पप्पु पाण्डेय, माननीय स0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित पत्र (गृह0–229) से उत्पन्न आश्वासन सं0 574 / 17 का कार्यान्वयन प्रतिवेदन से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन की मांग कि गई थी ।

अतः सादर सूचित करना है कि माँगी गई वांछित प्रतिवेदन इस कार्यालय के पत्रांक 2050 / सा0शा0, दिनांक 11 अक्टूबर, 2021 के माध्यम से श्रीमान को भेज दी गई है। पुनः सुलभ अवलोकन हेतु भेजे गये पत्र की छाया प्रति संलग्न कर श्रीमान को अवलोकनार्थ भेजी जा रही है।

सादर समर्पित ।

अनुलग्नकः–यथोपरि।

(ह0) अस्पष्ट,
पुलिस अधीक्षक,
गोपालगंज।

पत्रांक–2050 / सा0शा0

पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, गोपालगंज

सेवा में

पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण),
बिहार, पटना।

गोपालगंज, दिनांक 11 अक्टूबर, 2021 (ई0)।

प्रसंग—भवदीय का पत्र संख्या वि0म0 / 41–4–83 / 2019 / 932, दिनांक 24 सितम्बर, 2021

विषय—श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय "पप्पु" माननीय स0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित पत्र (गृह0–229) से उत्पन्न आश्वासन सं0 574 / 17 का कार्यान्वयन प्रतिवेदन भेजने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त प्रसग एवं विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि प्रासगिक पत्र द्वारा श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय "पप्पु", माननीय स0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित पत्र (गृह0–229) से उत्पन्न आश्वासन सं0 574 / 17 का कार्यान्वयन प्रतिवेदन संबंधित उत्तर प्रतिवेदन की मांग किया गया है। जो जनता बाजार ओ0पी0 के सृजन से संबंधित हैं के आलोक में सादर सूचित करना है कि जनता बाजार ओ0पी0 सृजन जो पैतृक थाना कटेया से 20 कि0मी0 एवं निकटतम थाना गोपालपुर से 15 कि0मी0 दूरी पर अवस्थित है। इन दोनों थानों के बीच अवस्थित जनता बाजार पर ओ0पी0 सृजन का कोई औचित्य नहीं बनता है।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(ह0) अस्पष्ट,
पुलिस अधीक्षक,
गोपालगंज।

परिशिष्ट—XXI

सं0 सी/ए0क्यू0—44105/2017—6399

बिहार सरकार

गृह विभाग

(विशेष शाखा)

प्रेषक

अनिमेश पाण्डेय,

सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में

अवर—सचिव,

बिहार विधान सभा सचिवालय,

बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 23 जून, 2022 (ई0)।

विषय—श्री नरेन्द्र नारायण यादव, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक 20 मार्च, 2017 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या (गृह—230) के सिलसिले में प्राप्त आश्वासन सं0 575/17 के कार्यान्वयन के संबंध में।

प्रसंग—बिहार विधान सभा सचिवालय का पत्रांक 2297—2300, दिनांक 3 जुलाई, 2017

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके प्रासंगिक पत्र के माध्यम से प्राप्त आश्वासन सं0 575/17 के संबंध में प्रतिवेदित करना है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत चौसा प्रखंड के डबरू टोला में कब्रिस्तान की कोई भूमि नहीं है।

उदाकिशुनगंज प्रखंड के रहटा में अवस्थित दोनों कब्रिस्तानों घेराबन्दी पूर्ण है।

अतः विषयांकित आश्वासन को लंबित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाए ।

विश्वासभाजन,

अनिमेश पाण्डेय,

सरकार के संयुक्त सचिव।

परिशिष्ट–XXII

श्रीमती सुनीता सिंह चौहान, माननीय स0वि0स0 के तारांकित प्रश्न सं0 2556(गृह–61) पर सरकारी उत्तर में सन्निहित आश्वासन सं0 847/17 का उत्तर सामग्री ।

आश्वासन

बिहार मंदिर चहारदीवारी निर्माण योजना अंतर्गत चहारदीवारी निर्माण का कार्य जिला स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा अनुमोदित प्राथमिकता सूची के आधार पर किया जाता है। प्राथमिकता सूची में कोलसो खुर्द ठाकुरबाडी मंदिर क्रमांक 12 पर है तथा राम जानकी ठाकुरबाडी मंदिर प्राथमिकता क्रमांक 14 पर है। चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में मंदिर चहारदीवारी निर्माण हेतु शिवहर जिला को कुल रु0 5 लाख आवंटित किया गया है, जिसके आलोक में प्राथमिकता क्रम में 01 से 04 तक की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसकी कुल प्राक्कलित राशि रु0 52 लाख की है। प्राथमिकता सूची के आलोक में शेष मंदिरों की चहारदीवारी निर्माण का कार्य होगा ।

उत्तर

जिला योजना पदाधिकारी, शिवहर की पत्रांक 255, दिनांक 23 जून, 2022 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि शिवहर जिला अंतर्गत तरियानी प्रखंड कोलसो खुर्द ठाकुरबाड़ी मंदिर का चहारदीवारी निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2018–19 में एवं राम जानकी मंदिर का चहारदीवारी निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2019–20 में पूर्ण करा लिया गया है।

परिशिष्ट–XXIII

सं० 6/वि०स०–01–50/2017–6369/गृ०आ०

बिहार सरकार

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

प्रेषक

ब्रजेश कुमार सिन्हा,
उप–निदेशक।

सेवा में

अवर–सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना।

पटना, दिनांक 29 जून, 2022 (ई0)।

विषय–—श्री तार किशोर प्रसाद, माननीय स०वि०स० के तारांकित प्रश्न सं० (गृह–258) से उद्भूत सरकारी आश्वासन सं० 868/17 का कार्यान्वयन प्रतिवेदन भेजने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि सरकारी आश्वासन संख्या–868/17 के लिए बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना से कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। उक्त कार्यान्वयन प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है (छायाप्रति संलग्न) कि कटिहार जिलान्तर्गत कटिहार पुलिस लाइन में जवानों के रहने के लिए बुनियादी सुविधा हेतु 300 सिपाही हेतु बैरक 12 एल०एस० आवास, ब्लॉक ई0–12, एल०एस० ब्लॉक–बी, मैगजीन भवन, 12 एल०एस० ब्लॉक–एच एवं जे० बैरक सं0–07 एवं 08, 12 एल०एस० ब्लॉक–आई भवनों/बैरकों का मरम्मती का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा बैरक सं0–2 में महिला पुलिसकर्मी आवासित है, जिसका विद्युतीकरण सहित विशेष मरम्मती कार्य बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पूर्णियाँ प्रमण्डल पूर्णियाँ के द्वारा किया गया है।

अतः अनुरोध है कि श्री तार किशोर प्रसाद, माननीय स०वि०स० के तारांकित प्रश्न सं० (गृह–258) से उद्भूत सरकारी आश्वासन सं० 868/17 को विलोपित करने की कृपा की जाय ।

अनु०–यथोक्त ।

विश्वासभाजन,
ब्रजेश कुमार सिन्हा,
उप–निदेशक।

सं0 वि0 मं0/41-4-214/2017-978

बिहार पुलिस मुख्यालय

(कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग)

प्रेषक

अपर पुलिस महानिदेशक (बजट/अपील/कल्याण),
बिहार, पटना।

सेवा में

श्री ब्रजेश कुमार सिन्हा,
उप-निदेशक,
गृह विभाग (आरक्षी शाखा),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 09 जून, 2022 (ई0)।

प्रसंग—गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना का पत्र सं0 6/4975, दिनांक 17 जुलाई, 2020

विषय—श्री तार किशोर प्रसाद, स0वि0स0 द्वारा प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या (गृह0-258) से उत्पन्न आश्वासन सं0 868/17 का कार्यान्वयन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त प्रासंगिक विषय पत्र के संदर्भ में कहना है कि श्री तार किशोर प्रसाद, स0वि0स0 द्वारा प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या (गृह0-258) से उत्पन्न आश्वासन सं0 868/17 का कार्यान्वयन प्रतिवेदन बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना के पत्र सं0 3024/एच0क्यू0, दिनांक 19 सितम्बर, 2020 एवं पुलिस अधीक्षक, कटिहार का पत्रांक 358/सा0शा0, दिनांक 11 मई, 2022 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। प्राप्त प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि कटिहार पुलिस लाईन में जवानों के रहने के लिए बुनियादी सुविधा हेतु वर्तमान में 300 सिपाही हेतु बैरक 12 एल0एस0 आवास ब्लॉक-ई0, 12 एल0एस0 ब्लॉक-बी, मैगजीन भवन, 12 एल0एस0 ब्लॉक-एच एवं जे0 बैरक सं0-07 एवं 08, 12 एल0 एस0 ब्लॉक-आई भवनों/बैरकों का मरम्मती का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा बैरक सं0-02 में महिला पुलिसकर्मी आवासित हैं, जिसका विद्युतीकरण सहित विशेष मरम्मती कार्य बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पूर्णिया प्रमण्डल पूर्णिया के द्वारा किया गया है।

अनु0-यथोपरि ।

विश्वासभाजन,
(ह0) अस्पष्ट,
अपर पुलिस महानिदेशक (बजट/अपील/कल्याण),
बिहार, पटना ।

पत्रांक–358 / सा0शा0

पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, कटिहार

प्रेषक

पुलिस अधीक्षक,
कटिहार।

सेवा में

पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण),
बिहार, पटना।

कटिहार, दिनांक 11 मई, 2022 (ई0)।

प्रसंग—भवदीय के कार्यालय पत्रांक 660 / वि0म0, दिनांक 9 जुलाई, 2020 एवं ज्ञापांक 488 / 342756 / वि0म0, दिनांक 14 दिसम्बर, 2017।

विषय—श्री तार किशोर प्रसाद, स0वि0स0 के द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न सं0 (गृह–258) से उत्पन्न आश्वासन सं0 868 / 17 का कार्यान्वयन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महाशय,

उपरोक्त प्रसंगाधीन विषयक श्री तार किशोर प्रसाद, स0वि0स0 के द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न सं0 (गृह–258) से उत्पन्न आश्वासन सं0 868 / 17 जो पुलिस केन्द्र में महिला बैरेक निर्माण कार्य से संबंधित है के संदर्भ में सादर सूचित करना है कि कटिहार जिलान्तर्गत पुलिस केन्द्र में महिला पुलिस कर्मियों के महिला बैरेक 200 बेड का एक बैरेक के साथ ही 05 अदद का 05 शौचालय–सह–स्नानागार निर्माण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 58 / सा0शा0, दिनांक 18 जनवरी, 2021 के माध्यम से पत्राचार किया गया है।

वर्तमान में पुलिस केन्द्र, कटिहार स्थित बैरेक संख्या–02 में महिला पुलिसकर्मी आवासित हैं, जिसका विद्युतीकरण सहित विशेष मरम्मती कार्य बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पूर्णिया प्रमण्डल पूर्णिया के द्वारा हाल ही में किया गया है।

कृपया सादर सूचनार्थ ।

(ह0) अस्पष्ट,
पुलिस अधीक्षक,
कटिहार ।

सं0–Mise-1/1805/HQ-3024(अनु0)
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम
(बिहार सरकार का उपक्रम)

सेवा में

श्री ब्रजेश कुमार सिन्हा,
उप–निदेशक,
गृह विभाग (आरक्षी शाखा),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 19 सितम्बर, 2020 (ई0)।

विषय—श्री तार किशोर प्रसाद, माननीय स0वि0स0 के तारांकित प्रश्न सं0 गृह–258 से उद्भूत आश्वासन सं0 868 / 17 का कार्यान्वयन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में ।

प्रसंग—गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार सरकार का पत्र संख्या 6 / वि0स0–01–50 / 2017 गृ0आ0–4975, पटना, दिनांक 17 जुलाई, 2020 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के सन्दर्भ में कहना है कि श्री तार किशोर प्रसाद, माननीय स0वि0स0 के तारांकित प्रश्न सं0 (गृह–258) से उद्भूत आश्वासन सं0 868 / 17 का कार्यान्वयन प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है ।

अनु0:–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
आलोक राज,
महानिदेशक–सह–अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक।

श्री तार किशोर प्रसाद, माननीय स0वि0स0 के तारांकित प्रश्न सं0 (गृह–258) से उद्भूत आश्वासन सं0 868/17 का कार्यान्वयन प्रतिवेदन ।

विषय—कटिहार स्थित पुलिस लाइन में जवानों के रहने के लिए बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराने के संबंध में ।

सरकारी आश्वासन

प्रभारी मंत्री—वस्तुस्थिति यह है कि पुलिस केन्द्र कटिहार में 8 बैरेक के अलावा वर्तमान में जवानों के लिए 300 बेड का बैरक बनाकर तैयार है, जिसके निकट भविष्य में हस्तानान्तरित होने की संभावना है। पुलिस लाइन में महिला बैरक/12 एल0एस0 ब्लॉक–बी0/मैगजीन भवन/12 एल0एस0 ब्लॉक–ई0/12 एल0एस0 ब्लॉक–एफ0 एंव ब्लॉक–जे0 की मरम्मती एवं रख–रखाव हेतु बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना का कुल राशि–89,17,186/– (नवासी लाख सतरह हजार एक सौ छियासी) हस्तानान्तरित किया गया है। कटिहार जिला पुलिस लाइन अस्पताल में डॉक्टर की प्रतिनिधि हेतु व्यवस्था विभाग से सेवा प्राप्त कर अस्पताल खुलवाया जायेगा ।

उत्तर सामग्री

कटिहार पुलिस लाइन में जवानों के रहने के लिए बुनियादी सुविधा हेतु वर्तमान में 300 सिपाही हेतु बैरक का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

पुलिस लाइन कटिहार में (1) महिला बैरक, (2) 12 एल0एस0 आवास ब्लॉक–ई0 (3) 12 एल0 एस0 ब्लॉक–बी0 (4) मैगजीन भवन (5) 12 एस0एस0 ब्लॉक– एच0 एवं ब्लॉक जे0 (7) बैरक सं0–07 एवं 08 (8) 12 एल0एस0 ब्लॉक–आई0 भवनों/बैरकों का मरम्मती का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा बैरक सं0–02 का मरम्मती कार्य प्रगति में है।

वर्ष 2020–21 में पुलिस लाइन के रक्षित कार्यालय का विशेष मरम्मती कार्य की स्वीकृति प्राप्त है, जो कि निविदा की प्रक्रिया में है।

परिशिष्ट–XXIV

सं0 6/वि0स0–01–22/2019–6113/गृ0आ0

बिहार सरकार

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

प्रेषक

ब्रजेश कुमार सिन्हा,
उप–निदेशक।

सेवा में

अवर–सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना।

पटना, दिनांक 23 जून, 2022 (ई0)।

विषय—श्री विनोद प्रसाद यादव, माननीय स0वि0स0 के तारांकित प्रश्न सं0 1830 (गृह–34) से उद्भूत आश्वासन सं0 701/19 का कार्यान्वयन प्रतिवेदन के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि सरकारी आश्वासन संख्या 701/19 के आलोक में बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना से कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। उक्त कार्यान्वयन प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है (छायाप्रति संलग्न) कि गया जिलान्तर्गत अंचल पुलिस निरीक्षक, शेरघाटी का कार्यालय भवन की बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना द्वारा विशेष मरम्मती करायी गयी है तथा अंचल पुलिस निरीक्षक, शेरघाटी को सुपुर्द किया गया है।

अतः अनुरोध है कि श्री विनोद प्रसाद यादव, माननीय स0वि0स0 के तारांकित प्रश्न सं0 1830 (गृह–34) से उद्भूत आश्वासन सं0 701/19 को विलोपित कराने की कृपा की जाय ।

अनु0–यथोक्त ।

विश्वासभाजन,
ब्रजेश कुमार सिन्हा,
उप–निदेशक।

संo विo मo/41–4–371/2019–910

बिहार पुलिस मुख्यालय

(कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग)

प्रेषक

अपर पुलिस महानिदेशक (बजट/अपील/कल्याण),
बिहार, पटना।

सेवा में

श्री ब्रजेश कुमार सिन्हा,
उप–निदेशक,
गृह विभाग (आरक्षी शाखा),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 31 मई, 2022 (ई0)।

प्रसंग—आपके कार्यालय का ज्ञापांक 6/9258, दिनांक 6 नवम्बर, 2019

विषय—श्री विनोद प्रसाद यादव, माननीय स0वि0स0 के तारांकित प्रश्न सं0 1830 (गृह–34) से उद्भूत आश्वासन सं0 701/19 का कार्यान्वयन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में श्री विनोद प्रसाद यादव, माननीय स0वि0स0 के तारांकित प्रश्न सं0 1830 (गृह–34) के उद्भूत आश्वासन सं0 701/19 का कार्यान्वयन प्रतिवेदन वरीय पुलिस अधीक्षक, गया का पत्रांक 383/सा0शा0, दिनांक 15 मई, 2022 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा प्राप्त हुआ है। प्राप्त प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि गया जिला अन्तर्गत अंचल पुलिस निरीक्षक, शेरघाटी का कार्यालय भवन की स्थिति को देखते हुए बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना द्वारा विशेष मरम्मती करायी गयी है तथा अंचल पुलिस निरीक्षक, शेरघाटी को सुपुर्द किया गया है।

अनु0–यथोपरि ।

विश्वासभाजन,
(ह0) अस्पष्ट,
अपर पुलिस महानिदेशक (बजट/अपील/कल्याण),
बिहार, पटना ।

पत्रांक–383 / सा0शा0

वरीय पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, गया

प्रेषक

वरीय पुलिस अधीक्षक,
गया।

सेवा में

पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण),
बिहार, पटना।

गया, दिनांक 15 मई, 2022 (ई0)।

प्रसंग—आपका कार्यालय ज्ञापांक 1020 / वि0म0, दिनांक 04 अक्टूबर, 2021

विषय—श्री विनोद प्रसाद यादव, स0वि0स0 से प्राप्त आश्वासन सं0 701 / 19 का उत्तर सामग्री भेजने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त प्रसंगाधीन विषय के संदर्भ में कहना है कि श्री विनोद प्रसाद यादव, स0वि0स0 द्वारा पूछे गये प्रश्न से उत्पन्न आश्वासन संख्या 701 / 19 का उत्तर सामग्री की माँग की गयी है।

उल्लेखनीय है कि इस कार्यालय का पत्रांक 637 / सा0शा0, दिनांक 30 सितम्बर, 2021 के माध्यम से पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना को अंचल पुलिस निरीक्षक, शेरघाटी का कार्यालय भवन निर्माण हेतु प्रस्ताव भेजा गया। जिसके आलोक में कार्यालय भवन की स्थिति को देखते हुए बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार पटना द्वारा विशेष मरम्मती करायी गयी है तथा अंचल पुलिस निरीक्षक, शेरघाटी को सुपुर्द किया गया है।

कृपया सादर सूचनार्थ ।

(ह0) अस्पष्ट,
वरीय पुलिस अधीक्षक,
गया।

परिशिष्ट–XXV

सं0 श्री/वि0स0प्र0(तारांकित)–12/2021–9908

बिहार सरकार

गृह विभाग

(विशेष शाखा)

प्रेषक

अनिमेश पाण्डेय,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में

अवर–सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय,
पटना।

पटना, दिनांक 01 सितम्बर, 2022 (ई0)।

विषय—श्री प्रणव कुमार, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा द्वारा सदन में लाये गये तारांकित प्रश्न संख्या–गृह–146 (2809) से उत्पन्न आश्वासन संख्या 575/2021 का कार्यान्वयन प्रतिवेदन के संबध में ।

प्रसंग—भवदीय के पत्रांक रा0आ0स0–25/2021–575/वि0स0, दिनांक 23 अगस्त, 2021

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि बिहार पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या 1410, दिनांक 22 अगस्त, 2022 के माध्यम से प्रतिवेदित है कि मुंगेर जिलान्तर्गत कोतवाली थाना कांड सं0 298/20, दिनांक 27 अक्टूबर, 2020 एवं कांड सं0 311/20, दिनांक 31 अक्टूबर, 2020 को अनुसंधान अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना द्वारा किया जा रहा है तथा मृतक अनुराग पोद्दार के पिता–अमरनाथ पोद्दार के बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा, मुंगेर के खाता सं0–32010110025805 में रु0 10,00,000/– (दस लाख) रुपया दिनांक 24 जून, 2021 को जिला नजारत, मुंगेर के द्वारा भुगतान करा दी गई है।

विभागीय संकल्प के आलोक में इस तरह की घटना में मृत व्यक्ति के आश्रित को नौकरी अनुमान्य नही है।

अतः अनुरोध है कि आश्वासन की लंबित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाए ।

विश्वासभाजन,
अनिमेश पाण्डेय,
सरकार के संयुक्त सचिव।

परिशिष्ट–XXVI

सं0 6/वि0स0–01–40/2021–1458/गृ0आ0

बिहार सरकार

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

प्रेषक

ब्रजेश कुमार सिन्हा,
उप–निदेशक।

सेवा में

अवर–सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना।

पटना, दिनांक 10 फरवरी, 2022 (ई0)।

विषय—श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी, स0वि0स0 के तारांकित प्रश्न सं0 1917 (गृह–185) पर सरकारी उत्तर में सन्निहित आश्वासन सं0 771/21 को विलोपित करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी, स0वि0स0 के तारांकित प्रश्न सं0 1917 (गृह–185) पर सरकारी उत्तर में सन्निहित आश्वासन सं0 771/21 के आलोक में बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना से कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। उक्त कार्यान्वयन प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है (छायाप्रति संलग्न) की जमुई जिलान्तर्गत खैरा प्रखण्ड के गरही थाना भवन का निर्माण कार्य बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा किया जा रहा है। भवन निर्माण कार्य 15 फरवरी, 2022 तक पूर्ण होने की संभावना है।

अतः अनुरोध है कि श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी, स0वि0स0 के तारांकित प्रश्न सं0 1917 (गृह–185) पर सरकारी उत्तर में सन्निहित आश्वासन सं0 771/21 को विलोपित कराने की कृपा की जाय ।

अनु0–यथोक्त ।

विश्वासभाजन,
ब्रजेश कुमार सिन्हा,
उप–निदेशक।

परिशिष्ट–**XXVII**

सं0 6/वि0स0–01–42/2021–9761/गृ0आ0

बिहार सरकार

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

प्रेषक

ब्रजेश कुमार सिन्हा,
उप–निदेशक।

सेवा में

अवर–सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना।

पटना, दिनांक 26 सितम्बर, 2022 (ई0)।

विषय—श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी, स0वि0स0 के तारांकित प्रश्न सं0 1951 (गृह–183) पर सरकारी उत्तर में सन्निहित आश्वासन सं0 778/21 का उत्तर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी, स0वि0स0 के तारांकित प्रश्न सं0 1951 (गृह–183) पर सरकारी उत्तर में सन्निहित आश्वासन सं0 778/21 के आलोक में बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना से कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। उक्त कार्यान्वयन प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है (छायाप्रति संलग्न) की जमुई जिलान्तर्गत सिकन्दरा प्रखण्ड के ग्राम–लछुआड का थाना भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा दिनांक 30 नवम्बर, 2021 से पूर्ण रूप से कार्यरत है।

अतः अनुरोध है कि श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी, स0वि0स0 के तारांकित प्रश्न सं0 1951 (गृह–183) पर सरकारी उत्तर में सन्निहित आश्वासन सं0 778/21 को विलोपित कराने की कृपा की जाय ।

अनु0–यथोक्त ।

विश्वासभाजन,
ब्रजेश कुमार सिन्हा,
उप–निदेशक।

संо 6/वि0स0–01–42/2021–10695/गृ0आ0

बिहार सरकार

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

प्रेषक

ब्रजेश कुमार सिन्हा,
उप–निदेशक।

सेवा में

अवर–सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना।

पटना, दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 (ई0)।

विषय—श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी, स0वि0स0 के तारांकित प्रश्न सं0 1951 (गृह–183) पर सरकारी उत्तर में सन्निहित आश्वासन सं0 778/21 का उत्तर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी, स0वि0स0 के तारांकित प्रश्न सं0 1951 (गृह–183) पर सरकारी उत्तर में सन्निहित आश्वासन सं0 778/21 के आलोक में बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना से कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। उक्त कार्यान्वयन प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है (छायाप्रति संलग्न) की जमुई जिलान्तर्गत सिकन्दरा प्रखण्ड के ग्राम–लछुआड़ का थाना भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। कार्यपालक अभियन्ता, बिहार पुलिस भवन निर्माण, भागलपुर प्रमण्डल के द्वारा पुलिस अधीक्षक, जमुई को हस्तानान्तरण हेतु पत्र दिया गया है। हस्तानान्तरण प्रतीक्षित है।

अतः अनुरोध है कि श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी, स0वि0स0 के तारांकित प्रश्न सं0 1951 (गृह–183) पर सरकारी उत्तर में सन्निहित आश्वासन सं0 778/21 को विलोपित कराने की कृपा की जाय ।

अनु0–यथोक्त ।

विश्वासभाजन,
ब्रजेश कुमार सिन्हा,
उप–निदेशक।

परिशिष्ट–**XXVIII**

सं0 9/वि0स0–10–07/2021–5036/गृ0आ0

बिहार सरकार

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

प्रेषक

गिरीश मोहन ठाकुर,
सरकार के अवर–सचिव।

सेवा में

अवर–सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय,
राजकीय आश्वासन समिति,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 25 मई, 2022 (ई0)।

विषय—श्री अरूण सिंह, माननीय स0वि0स0 के तारांकित प्रश्न संख्या 1971 (गृह–204) पर सरकारी उत्तर में सन्निहित आश्वासन संख्या 782/21 के संबंध में ।

प्रसग—आपका पत्रांक 782, दिनांक 25 अगस्त, 2021 एवं विभागीय पत्रांक 7248, दिनांक 20 सितम्बर, 2021 ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 782, दिनांक 25 अगस्त, 2021 के संबंध में कहना है कि श्री अरूण सिंह, माननीय सदस्य बिहार विधान सभा द्वारा दिनांक 15 मार्च, 2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या (गृह–204) का उत्तर में सन्निहित आश्वासन संख्या 782/21 की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई है। ऐसी स्थिति में उत्तर भेजने में कठिनाई हो रही है। विभागीय पत्रांक–7248, दिनांक 20 सितम्बर, 2021 के द्वारा उक्त आश्वासन की प्रति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, जो अप्राप्त है।

उल्लेखनीय है कि विभागीय पत्रांक 2306, दिनांक 12 मार्च, 2021 द्वारा वर्णित तारांकित प्रश्न का उत्तर, जो भेजा गया है उसमें आश्वासन का कोई बिन्दु नहीं था।

अनुरोध है कि यथावांछित आश्वासन की प्रति अथवा बिहार विधान सभा के कार्यवाही की प्रति विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय, ताकि अनुपालन किया जा सके ।

विश्वासभाजन,
गिरीश मोहन ठाकुर,
सरकार के अवर–सचिव।

परिशिष्ट–XXIX

सं0 6/वि0स0–01–21/2022–9517/गृ0आ0

बिहार सरकार

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

प्रेषक

ब्रजेश कुमार सिन्हा

उप–निदेशक।

सेवा में

अवर–सचिव,

बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना।

पटना, दिनांक 19 सितम्बर, 2022 (ई0)।

विषय—श्री विनय बिहारी, माननीय स0वि0स0 के तारांकित प्रश्न सं0 50 (गृह–95) पर सरकारी उत्तर में सन्निहित आश्वासन सं0 21/22 का कार्यान्वयन प्रतिवेदन के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि सरकारी आश्वासन संख्या 21/22 के आलोक में बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना से कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। उक्त कार्यान्वयन प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है (छायाप्रति संलग्न) की वित्तीय वर्ष 2021–22 में ERSS परियोजना के उपयोग हेतु 400 वाहनों के क्रय का आदेश निर्गत किया गया था। उक्त क्रयादेश के आलोक में 400 अदद वाहनों का क्रय कर सभी आवंटित जिलों को उपलब्ध करा दिया गया है एवं दिनांक 06 जुलाई, 2022 के प्रभाव से इस योजना को राज्य के सभी जिलों में क्रियाशील कर दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि श्री विनय बिहारी, माननीय स0वि0स0 के तारांकित प्रश्न सं0–50 (गृह–95) पर सरकारी उत्तर में सन्निहित आश्वासन सं0 21/22 को विलोपित कराने की कृपा की जाय ।

अनु0–यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

ब्रजेश कुमार सिन्हा,

उप–निदेशक।

सं0 वि0 मं0/41–4–61/2022–1428

बिहार पुलिस मुख्यालय

(कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग)

प्रेषक

अपर पुलिस महानिदेशक (बजट/अपील/कल्याण),
बिहार, पटना।

सेवा में

श्री ब्रजेश कुमार सिन्हा,
उप–निदेशक,
गृह विभाग (आरक्षी शाखा),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 29 अगस्त, 2022 (ई0)।

प्रसंग—गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना का पत्र सं0 06/4108, दिनांक 25.04.2022

विषय—श्री विनय बिहारी, माननीय स0वि0स0 के तारांकित प्रश्न सं0 50 (गृह–95) पर सरकारी उत्तर में सन्निहित आश्वासन सं0 21/22 का कार्यान्वयन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त प्रासंगिक विषयक के संबंध में कहना है कि श्री विनय बिहारी, माननीय स0वि0स0 के तारांकित प्रश्न सं0 50 (गृह–95) पर सरकारी उत्तर में सन्निहित आश्वासन सं0 21/22 का कार्यान्वयन प्रतिवेदन पुलिस मुख्यालय का गै0स0प्रे0सं0–20/आपूर्ति, दिनांक 12 अगस्त, 2022 (प्रति संलग्न) के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। प्राप्त प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2021–22 में ERSS परियोजना के उपयोग हेतु 400 वाहनों के क्रय का आदेश निर्गत किया गया था। उक्त दिये गये क्रयादेश के आलोक में 400 अदद वाहनों का क्रय कर सभी आवंटित जिलों को उपलब्ध करा दिया गया है।

अनु0–यथोपरि ।

विश्वासभाजन,
(ह0) अस्पष्ट,
अपर पुलिस महानिदेशक (बजट/अपील/कल्याण),
बिहार, पटना ।

पीत–पत्र के बदले

संचिका सं0–95–1–3–2022 / आपूर्ति

पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण),
बिहार, पटना।

विषय—श्री विनय बिहारी, माननीय स0वि0स0 के तारांकित प्रश्न सं0 50 (गृह–95) पर सरकारी उत्तर सन्निहित आश्वासन सं0 21 / 22 कार्यान्वयन उपलब्ध कराने के संबंध में ।

पत्रांक 783 / वि0म0, दिनांक 2 मई, 2022 के माध्यम से प्राप्त आश्वासन सं0 21 / 22 के संदर्भ में निम्न बिन्दुओं के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत् है:—

वित्तीय वर्ष 2021–22 में ERSS परियोजना के उपयोग हेतु 400 वाहनों के क्रय का आदेश निर्गत किया गया था ।

उक्त दिये गये क्रयादेश के आलोक में 400 अदद वाहनों का क्रय कर सभी आवंटित जिलों को उपलब्ध करा दिया गया है।

(ह0) अस्पष्ट,
पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण),
बिहार, पटना ।

परिशिष्ट–XXX

सं0 एन/गृ0वि0(वि0स0प्र0)–17–03/2022–246

बिहार सरकार

गृह विभाग

(विशेष शाखा)

प्रेषक

सुधांशु शेखर,
उप सचिव–सह–प्रभारी,
स्वतंत्रता सेनानी प्रभाग।

सेवा में

अवर–सचिव,
राजकीय आश्वासन समिति
बिहार विधान सभा सचिवालय,
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक 24 जून, 2022 (ई0)।

विषय—श्री महबूब आलम, माननीय स0वि0स0 से तारांकित प्रश्न सं0 656(गृह–156) पर सरकारी उत्तर में सन्निहित आश्वासन सं0 376/2022 के संबंध में ।

प्रसंग—आपका पत्रांक 376, दिनांक 06 मई, 2022 ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि श्री महबूब आलम, माननीय स0वि0स0 द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न सं0 656 (गृह–156) पर सरकार उत्तर में सन्निहित आश्वासन सं0 376/2022 के आलोक में आश्रिता स्वतंत्रता सेनानी लालमुनी देवी, पति–स्व0 सत्यनारायण सिंह की मृत्यु के उपरांत जीवनकालीन अवशेष राशि मो0–7903/– (सात हजार नौ सौ तीन) रुपये का भुगतान अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री कृपा नारायण सिंह को चेक सं0–334484, दिनांक 4 मार्च, 2022 के माध्यम से बिहार राज्य सहकारी बैंक लि0 शाखा, बांकीपुर, पटना में संधारित खाता सं0–000134006008682 में किया जा चुका है। सुलभ प्रसंग हेतु जिला पदाधिकारी, पटना के पत्रांक–2339, दिनांक 22 जून, 2022 एवं अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर का पत्रांक 1976, दिनांक 21 जून, 2022 की छायाप्रति संलग्न है।

अनुलग्नक–यथोक्त ।

विश्वासभाजन,
सुधांशु शेखर,
उप–सचिव–सह–प्रभारी,
स्वतंत्रता सेनानी प्रभाग।

पत्रांक–50–03 पार्ट–2/2016–2339/सा0

समाहरणालय, पटना

सामान्य शाखा

प्रेषक

जिलाधिकारी,
पटना।

सेवा में

उप–सचिव–सह–प्रभारी,
स्वतंत्रता सेनानी प्रभाग,
गृह विभाग (विशेष शाखा),
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक 22 जून, 2022 (ई0)।

विषय—श्री महबूब आलम, माननीय स0वि0स0 द्वारा बिहार विधान सभा के तारांकित प्रश्न संख्या 656 (गृह–156) पर सरकारी उत्तर में सन्निहित आश्वासन संख्या 376/2022 के संबंध में ।

प्रसंग—आपका पत्रांक–223, दिनांक 15 जून, 2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रसंगाधीन पत्र के क्रम में अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर के पत्रांक–1976/सा0, दिनांक 21.06.2022 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में प्रतिवेदित करना है कि आश्रिता स्वतंत्रता सेनानी लालमुनी देवी, पति–स्व0 सत्यनारायण सिंह की मृत्यु के उपरान्त जीवनकालीन अवशेष राशि मो0–7,903 (सात हजार नौ सौ तीन) रुपये ज्येष्ठ पुत्र श्री नारायण सिंह को भुगतान हेतु चेक संख्या–334484, दिनांक 04 मार्च, 2022 के माध्यम से बिहार राज्य सहकारी बैंक लि0 शाखा, बाँकीपुर, पटना में संधारित खाता संख्या–000134006008682 में भेजा जा चुका है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनु0–यथोक्त ।

विश्वासभाजन,
(ह0) अस्पष्ट,
जिलाधिकारी, पटना।

पत्रांक–1976 / सा0

अनुमंडल कार्यालय, दानापुर

सामान्य शाखा

प्रेषक

अनुमंडल पदाधिकारी,
दानापुर।

सेवा में

अपर जिला दण्डाधिकारी,
सामान्य, पटना ।

पटना, दिनांक 21 जून, 2022 (ई0)।

विषय—श्री महबूब आलम, माननीय स0वि0स0 द्वारा बिहार विधान सभा के तारांकित प्रश्न संख्या 656 (गृह–156) पर सरकारी उत्तर में सन्निहित आश्वासन संख्या 376 / 2022 का कार्यान्वनयन प्रतिवेदन के संबंध में ।

प्रसंग—भवदीय पत्रांक 2135 / सा0, पटना, दिनांक 07 जून, 2022 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक मे कहना है कि श्री महबूब आलम, माननीय स0वि0स0 द्वारा बिहार विधान सभा के तारांकित प्रश्न संख्या 656 (गृह–156) पर सरकारी उत्तर में सन्निहित आश्वासन संख्या 376 / 2022 के क्रम मे स्वतंत्रता सेनानी के आश्रिता स्व0 लालमुनी देवी, पति स्व0 सत्यनारायण सिंह, ग्राम+पो0–अमरपुरा, थाना–नौबतपुर, जिला–पटना को पी0पी0ओ0 नं0 एस0सी0 15155 पोल–पेंशन खाता नं0–000134006008682 से संबंधित जीवनकालीन अवशेष राशि मो0–7,903 (सात हजार नौ सौ तीन) रु0 का भुगतान उनके आश्रित श्री कृपा नारायण सिंह को करने हेतु इस कार्यालय का चेक संख्या–334484, दिनांक 4 मार्च, 2022 के माध्यम से शाखा प्रबंधक, बिहार सहकारिता बैंक लिमिटेड, शाखा–बाँकीपुर को भुगतान किया जा चुका है।

सादर सूचनार्थ समर्पित ।

विश्वासभाजन,
(ह0) अस्पष्ट,
अनुमंडल पदाधिकारी,
दानापुर ।

(49)

PEON BOOK

Date	Name & Address	Contents	Peon's Name	Time	Receiver's Signature
8/3/22 (1)	शाखा प्रबंधक सहकारिता बैंक लि. शाखा [illegible]	[illegible] 873 [illegible]	[illegible]		[illegible]
(2)	उप [illegible] आयुक्त [illegible]	[illegible] [illegible]/3/22			

परिशिष्ट–XXXI

सं0 6/वि0स0–01–34/2022–6529/गृ0आ0

बिहार सरकार

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

प्रेषक

ब्रजेश कुमार सिन्हा,
उप–निदेशक।

सेवा में

अवर–सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय,
पटना ।

पटना, दिनांक 4 जुलाई, 2022 (ई0)।

विषय—श्री पवन कुमार यादव, माननीय स0वि0स0 के तारांकित प्रश्न सं0 680 (गृह–146) पर सरकारी उत्तर में सन्निहित आश्वासन सं0 385/22 का कार्यान्वयन प्रतिवेदन के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि सरकारी आश्वासन संख्या 385/22 के आलोक में बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना से कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। उक्त कार्यान्वयन प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है (छायाप्रति संलग्न) कि भागलपुर जिलान्तर्गत अंतीचक थाना भवन का कार्य पूर्ण हो गया है। थाना प्रभारी को हस्तानान्तरित है एवं भवन आवसित है।

अतः अनुरोध है कि श्री पवन कुमार यादव, स0वि0स0 के तारांकित प्रश्न सं0 680 (गृह–146) पर सरकारी उत्तर में सन्निहित आश्वासन सं0 385/22 को विलोपित कराने की कृपा की जाय ।

अनु0–यथोक्त ।

विश्वासभाजन,
ब्रजेश कुमार सिन्हा,
उप–निदेशक ।

सं0–Mise-1/2292/HQ-1728(अनु0)

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम

(बिहार सरकार का उपक्रम)

सेवा मे

पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 18 जून, 2022 (ई0)।

विषय—श्री पवन कुमार यादव, माननीय स0वि0स0 के तारांकित प्रश्न संख्या 680 (गृह–146) पर सरकारी उत्तर में सन्निहित आश्वासन संख्या 385/22 का कार्यान्वयन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में ।

प्रसंग—बिहार पुलिस मुख्यालय (कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग), बिहार, पटना का ज्ञापांक–वि0मं0/41–4–107–2022/923, पटना, दिनांक 02 जून, 2022।

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के सन्दर्भ में निदेशानुसार कहना है कि श्री पवन कुमार यादव, माननीय स0वि0स0 के तारांकित प्रश्न संख्या 680 (गृह–146) पर सरकारी उत्तर में सन्निहित आश्वासन संख्या 385/22 का कार्यान्वयन प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

अनु0:–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
सोहैल अख्तर,
मुख्य अभियन्ता।

श्री पवन कुमार यादव, माननीय स०वि०स० के तारांकित प्रश्न संख्या 680 (गृह–146) पर सरकारी उत्तर में सन्निहित आश्वासन संख्या 385/22 का कार्यान्वयन प्रतिवेदन ।

प्रश्न—क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत कहलगाँव प्रखंड के अंतीचक पंचायत में स्थित विक्रमशीला खुदाई स्थल के नजदीक पर्यटकों के विश्राम के लिए बने भवन में अंतीचक थाना पिछले कई वर्षों से संचालित है, जबकि अंतीचक थाने का नया भवन बनकर तैयार है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक अंतीचक थाने को उक्त नए भवन में शिफ्ट करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी आश्वासन

वस्तुस्थिति यह है कि भागलपुर जिलान्तर्गत अंतीचक थाना नए भवन में आंशिक रूप से शिफ्ट हुआ है तथा कुछ पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल रह रहे हैं। नए थाना भवन में अन्य सरकारी सम्पत्ति भी रखा गया है। अंतीचक थाना की सरकारी सम्पत्तियों को एक सप्ताह के अंदर नए भवन में शिफ्ट किया जाना संभावित है।

उत्तर

भागलपुर जिलान्तर्गत अंतीचक थाना भवन का कार्य पूर्ण हो गया है। थाना प्रभारी को हस्तानान्तरित है एवं भवन आवासित है।

बि०स०मु०–44–(एल०ए०)–2023–24–डी०टी०पी० 300

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2026